

**मास्टर परिपत्र**  
**प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश**

**विषय सूची**

1.	अन्य सहकारी समितियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध	1
2.	सांविधिक (एसएलआर) निवेश	1
3.	निवेश नीति	3
4.	सामान्य दिशानिर्देश	3
5.	एसजीएल खातों के जरिए लेनदेन	6
6.	बैंक रसीदों का उपयोग	8
7.	दलालों की सेवाएं लेना	9
8.	सीसीआईएल के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति लेनदेन का निपटान	10
9.	शेयर बाजारों में सहकारी प्रतिभूतियों का करोबार (ट्रेडिंग)	11
10.	सरकारी प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा संविदाएं	13
11.	रिपो/प्रारक्षित रिपो लेनदेन के लिए एक समान लेखाकरण	14
12.	गैर एसएलआर निवेश	16
13.	आंतरिक नियंत्रण और निवेश लेखाकरण	19
14.	घोष समिति की सिफारिशें	19
15.	निवेशों का श्रेणीकरण	20
16.	निवेश मूल्यन	22
17.	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर)	26
18.	सूचना देना	26
<b>अनुबंध</b>		
I	दलालों की सीमा के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण	27
II	निवेश पर मास्टर परिपत्र - कुछ परिभाषाएं	29
III	प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं	30
<b>परिशिष्ट</b>		
क:	प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश पर मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	31
ख:	अन्य परिपत्रों की सूची जिनसे निवेशों से संबंधित अनुदेशों को मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है	36

## मास्टर परिपत्र प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

### 1. अन्य सहकारी समितियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध

1.1 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (सहकारी समितियों पर यथालागू ) यह निर्धारित करती है कि कोई सहकारी बैंक अन्य किसी सहकारी समिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके पक्ष में निर्धारित की गई इस प्रकार की सीमा से बाहर तथा इस प्रकार की शर्तों के विपरित शेयर नहीं रखेगा। तथापि, उपर्युक्त धारा में निहित प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता -

1.1.1 उस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों के जरिए अर्जित शेयर ;

1.1.2 मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मामले में राज्य सहकारी बैंक में शेयर रखना जिससे यह संबद्ध है;

1.1.3 किसी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के मामले में जिस मध्यवर्ती सहकारी बैंक से वह संबद्ध है उसमें अथवा उस राज्य के राज्य सहकारी बैंक में जिसमें वह पंजीकृत है, शेयर रखना

1.2 बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि जिस सीमा तक और जिन शर्तों के अधीन सहकारी बैंक अन्य किसी सहकारी समिति में शेयर रख सकते हैं वे निम्नवत् हैं:

1.2.1 उपर्युक्त पैरा 1.1.1 से 1.1.3 तक में वर्णित किसी एक श्रेणी में आने वाली संस्थाओं के शेयर में सहकारी बैंक का कुल निवेश उसकी स्वाधिकृत निधियों(चुकता शेयर पूजा तथा प्रारक्षित निधियां )के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

1.2.2 उपर्युक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत आने वाली किसी एक सहकारी संस्था के शेयरों में बैंक का निवेश उस संस्था की निर्धारित पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

#### टिप्पणी:

उक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत श्रेणी में आने वाली किसी सहकारी समिति के शेयरों में एक से अधिक सहकारी बैंक अंशदान करते हैं तो उपर्युक्त अभिदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत की सीमा न केवल उनमें से प्रत्येक बैंक के निवेश के संबंध में बल्कि एक साथ जोड़कर सभी बैंकों के निवेश के संबंध में लागू होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, सभी सहकारी बैंकों का कुल निवेश संबंधित संस्था की अभिदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए।

किसी सहकारी बैंक को उपर्युक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत आने वाली किसी सहकारी समिति के शेयरों में अपना अंशदान करने का प्रस्ताव केवल तभी देना चाहिए जब प्राप्तकर्ता समिति के उप-नियमों में उसके द्वारा अंशदान की गई शेयर पूजा के भुगतान की समाप्ति के बारे में प्रावधान किया गया हो।

1.2.3 उपर्युक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत आने वाली किसी समिति के शेयरों में किसी बैंक द्वारा अंशदान में दी गई शेयर पूजा का भुगतान संबंधित समिति द्वारा व्यवसाय उत्पादन आरंभ करने वाले वर्ष के तुरंत बाद आनेवाले सहकारी वर्ष से आरंभ 10 समान वार्षिक किस्तों में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

1.2.4 किसी सहकारी बैंक को रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना उपर्युक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत आने वाली किसी समिति की शेयर पूजा में अंशदान नहीं करना चाहिए यदि समिति उसके परिचालन क्षेत्र के बाहर स्थित है।

1.2.5 उपर्युक्त प्रतिबंध सहकारी बैंकों द्वारा पारस्परिक हितों (उदाहरणार्थ सहकारी बैंक एसोसिएशन) या सहकारी शिक्षा आदि (उदाहरणार्थ राज्य सहकारी संघ) अथवा स्वामित्व के आधार आदि पर परिसर अर्जित करने के प्रयोजन से आवासीय सहकारी समितियों के लिए गठित सोसायटियों जैसी अलाभकारी सहकारी समितियों में शेयर धारिताओं पर लागू नहीं होंगे।

### 2. सांविधिक (एसएलआर) निवेश

#### 2.1 अधिनियम के उपबंध

2.1.1 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू ) की धारा 24 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के लिए अस्तियां बनाए रखना आवश्यक है जो किसी भी दिन कारबार समाप्त होने पर भारत में उसकी मांग एवं मीयादी देयताओं (न्यूनतम नकदी प्रारक्षित निधियों की आवश्यकता के अतिरिक्त) के 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

2.1.2 बैंक नकदी, स्वर्ण या भाररहित एवं अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में इस प्रकार तरल अस्तियां धारित कर सकते हैं।

2.1.3 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू ) की धारा 5(क) (i) तथा (ii) के अनुसार परिभाषित 'अनुमोदित प्रतिभूतियां' का तात्पर्य है -

(i) ऐसी प्रतिभूतियां जिनमें कोई न्यासी भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के खंड (क), (ख), (ख ख) के अंतर्गत कोई न्यासी निवेश कर सकता है।

(ii) इस प्रकार की प्रतिभूतियां जो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 जो भी निर्धारित हो, के अनुच्छेद (च) के अंतर्गत प्राधिकृत हैं।

## 2.2 सरकारी/अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में धारिता

2.2.1 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए नीचे दर्शाई गई निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने एसएलआर की धारित राशि का एक निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करना आवश्यक है:

- (i) टियर I गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में 30 सितंबर 2009 तक अपनी निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के न्यूनतम 7.5 प्रतिशत तथा 31 मार्च 2010 तक न्यूनतम 15 प्रतिशत एसएलआर बनाए रखेंगे।
- (ii) टियर II गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के मामले में सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपनी निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के न्यूनतम 15 प्रतिशत एसएलआर धारिता का मौजूदा निर्धारण 31 मार्च 2010 तक जारी रहेगा।
- (iii) 31 मार्च 2011 से आगे सभी गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपनी निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के 25 प्रतिशत तक एसएलआर बनाए रखना अनिवार्य होगा।

2.2.2 दिनांक 15 दिसंबर 2008 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के खण्ड 4 के भाग III में प्रकाशित अधिनियम शर्बेवि.पीसीबी.10/16.26.000/2005-06 दिनांक 26 नवंबर 2008 के अनुसार टियर I गैर-अनुसूचित (प्राथमिक) शहरी सहकारी बैंक को अधिनियम शर्बेवि.पीसीबी.6657/16.26.000/2005-06 दिनांक 26 दिसंबर 2005 के माध्यम से उनके द्वारा धारा 24 के अंतर्गत निर्धारित नकद, स्वर्ण या भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में आस्तियां बनाए रखने की बाध्यता से, उनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, सहायक बैंक, तदनुसूची नए बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लि. (नाम परिवर्तित होकर आईडीबीआई बैंक लि.) में आईडीबीआई बैंक लि. ब्याज अर्जक जमाराशियों में जमा की गई जमाराशियों की सीमा, लेकिन वह भारत में उनकी निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के 15% से अधिक न हो, तक दी गई छूट जारी रहेगी बशर्ते इस प्रकार की छूट 01 अक्टूबर 2009 से भारत में उनकी निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के 7.5% से अधिक न हो। यह छूट 01 अप्रैल 2010 से वापस ले ली जाएगी।

## 2.3 अनिवार्य निवेश धारित करने की विधि

2.3.1 प्रतिभूतियां (क) भौतिक पर्ची धके रूप में (ख) अनुषंगी सामान्य खाता बही (एसजीएल) तथा (ग) डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल, एनएससीसीएल) के डिमैट खाते में से किसी एक रूप में धारित की जा सकती हैं। अनुषंगी सामान्य खाता बही सुविधा के साथ प्रतिभूतियों के संबंध में एसजीएल खाता स्वयं बैंक के नाम पर सीधे भारतीय रिजर्व बैंक में या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /राज्य सहकारी बैंक / प्राथमिक डीलर अथवा भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. के साथ खोले गए सीएसजीएल खाते में रखा जा सकता है।

2.3.2 शहरी सहकारी बैंकों को अन्य शहरी सहकारी बैंकों और धर्मादाय संस्थानों, न्यासों आदि जैसी अन्य संस्थाओं के सीएसजीएल खाते खोलने रखते की इजाजत नहीं है ।

2.3.3 गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जिनकी मांग एवं मीयादी देयताएं 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो तथा सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पास स्थित एसजीएल खातों में अथवा प्राथमिक डीलरों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, निक्षेपागारों तथा भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. के सीएसजीएल खातों में ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करें।

## 3. निवेश नीति

3.1 विभिन्न विनियामक / सांविधिक तथा बैंक की अपनी आंतरिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक व्यापक निवेश नीति तथा निवेश संबंधी लेनदेन करने के दौरान हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए । निवेश नीति की हर साल समीक्षा की जानी चाहिए । निदेशक मंडल /समिती/ उच्च प्रबंधन को निवेश संबंधी लेनदेनों का मुस्तैदी से पर्यवेक्षण करना चाहिए । बैंकों को संविभाग प्रबंधन योजना (पीएमएस) के ग्राहक की तरफ से उनकी प्रत्ययी हैसियत से तथा अन्य ग्राहकों की तरफ से न तो उनके निवेश के अभिरक्षक के रूप में या पूर्णतः उनके एजेंट के रूप में कोई लेनदेन नहीं करना चाहिए ।

3.2 बैंक की निवेश नीति में सौदा करने वाले प्राधिकारी, समुचित प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने, सौदा करने, विभिन्न विवेकपूर्ण ऋण सीमाओं को निर्धारित करने तथा सूचना देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए।

- 3.3 बैंक की निवेश नीति में इसके अपने निवेश खाते में धारित की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति की मात्रा (उच्चतम सीमा) तथा गुणवत्ता संबंधी दिशा निर्देश शामिल होने चाहिए। बैंकों को निवेश संबंधी सौदे करने वाले प्राधिकारी तथा अपनाई जाने वाली सूचना प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। निवेश नीति समय-समय पर निबंधक, सहकारी सोसायटियां तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पूरी तरह अवलोकन करने के बाद बनानी चाहिए तथा इसमें आंतरिक नियंत्रण तंत्र, लेखाकरण संबंधी मानकों, लेखा परीक्षा, समीक्षा, तथा विकसित की जाने वाली सूचना प्रणाली की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए।
- 3.4 सभी लेनदेनों का स्पष्ट रूप से अभिलेख रखना चाहिए जिससे पूर्ण ब्योरे प्रदर्शित हों। उच्च प्रबंधन को निवेश संबंधी लेनदेनों की सावधानीपूर्वक आवधिक समीक्षा करनी चाहिए तथा बड़े लेनदेन निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ रखना चाहिए।
- 3.5 बैंकों द्वारा अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से निर्मित आंतरिक निवेश नीति संबंधी दिशा-निर्देशों की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्नेषित की जानी चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि निवेश नीति निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है तथा उसे लागू कर दिया गया है। निवेश नीति में बाद के परिवर्तनों, यदि कोई हो, की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को भी देनी चाहिए।

#### 4. सामान्य दिशानिर्देश

- 4.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को मूलधन से मूलधन के आधार पर दलाल फर्मों या अन्य बिचौलिया कंपनियों के साथ कोई क्रय / विक्रय नहीं करना चाहिए।
- 4.2 बैंकों को अपने निवेश खाते में वास्तव में प्रतिभूति धारित किए बिना कोई बिक्री लेनेदेन नहीं करना चाहिए अर्थात् किसी भी परिस्थिति में बैंकों को किसी प्रतिभूति में खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। तथापि, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक ऐसी किसी सरकारी प्रतिभूति को बेच सकते हैं जिनकी खरीद के लिए पहले ही संविदा की जा चुकी हो, बशर्ते :
- 4.2.1 खरीद संविदा की पुष्टि बिक्री से पहले हो गई हो,
- 4.2.2 खरीद संविदा सी बी आई एल द्वारा गारंटीकृत हो या प्रतिभूति रिज़र्व बैंक द्वारा खरीद के लिए संविदाकृत हो तथा,
- 4.2.3 बिक्री लेनेदेन का निपटान या तो उसी निपटान चक्र में किया जाएगा जिसमें पूर्ववर्ती खरीद संविदा का किया गया था या बाद के किसी निपटान चक्र में ताकि बिक्री संविदा के अंतर्गत सुपुर्दगी बाह्यता खरीद संविदा के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियों द्वारा पूरी की जा सके (उदाहरणार्थ जब कोई प्रतिभूति टी + 1 आधार पर खरीदी जाती हो ता ट इसे खरीद के दिन टी + 10 या टी +1 आधार पर बेजा जा सकता है; तथापि यदि इसे टी+1 आधार पर खरीदा जाता हो तो इसे खरीद के दिन टी+1 आधार पर तथा अगले दिन टी+10 या टी + 1 आधार पर बेचा जा सकता है)। आबंटन के दिन प्राथमिक निर्गमों में सफल बोलीकर्ताओं को आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री सीएसजीएल खाता धारकों के साथ तथा उनके बीच करने की अनुमति दी गई है।
- 4.3 खुले बाजार परिचालनों (ओ एम ओ) के माध्यम से रिज़र्व बैंक से प्रतिभूतियों की खरीद के लिए रिज़र्व बैंक से आबंटन के सौदे/सूचना की पुष्टि प्राप्त होने से पहले बिक्री संबंधी किसी लेनदेन की संविदा नहीं की जानी चाहिए।
- 4.4 वर्तमान में केवल अनुसूचित बैंकों, जो ग्रेड III/IV के रूप में वर्गीकृत न हों, को एन डी एस का सदस्य बनने तथा सरकारी प्रतिभूतियों संबंधी लेनदेनों के निपटान हेतु डी वी पी III पद्धति के अंतर्गत सहभागी होने की अनुमति दी गई है।
- 4.5 बैंकों को इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भरपूर सावधानी बरतनी चाहिए। संगामी लेखा परीक्षकों को विशेष रूप से इन अनुदेशों के अनुपालन का सत्यापन करना चाहिए। संगामी टलखा परीक्षा की रिपोर्टों में उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन से संबंधित विशेष टिप्पणियाँ होनी चाहिए तथा उन्हें बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली छः माही समीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। सी सी आई एल अपनी दैनिक रिपोर्टों के एक भाग के रूप में सभी बाजार सहभागियों को एन डी एस से प्राप्त सभी लेनदेनों का समय प्रदर्शित करने वाला मोहर उपलब्ध कराएगा। मिड ऑफिस तथा लेखा परीक्षक अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए लेनदेनों की अपनी जाँच/समीक्षा के पूरक के रूप में इस सूचना का उपयोग कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी में आए किसी उल्लंघन की सूचना तुरंत शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को दी जानी चाहिए। इस संबंध में जानकारी में आए किसी उल्लंघन पर दंड लगाए जाएंगे जो वर्तमान में आवश्यक समझे जाने पर आगे की विनियामक कार्रवाई के अलावा सहायक सामान्य लेखा (एस जी एल) फ़ार्म के नकारा होने पर लागू होते हैं भले ही डी वी पी III के अंतर्गत समायोजन फायदे के कारण सौदा समायोजित कर लिया गया हो।
- 4.6 सरकारी प्रतिभूतियों के प्रारंभिक निर्गम की नीलामी में सफल बैंक नीचे दी गई शर्तों के अनुसार आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए संविदाएं कर सकते हैं :

- 4.6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई किसी प्रमाणित आबंटन सूचना के आधार पर आबंटिती बैंक द्वारा केवल एक बार बिक्री हेतु संविदा की जा सकती है । बिक्रेता बैंक को आबंटन सूचना पर समुचित टिप्पणी/मोहर लगानी चाहिए जिसमें बिक्री संविदा संख्या आदि दर्शाई गई हो जिसके ब्योरे की सूचना ब्रेता संस्था को दी जानी चाहिए । ब्रेता संस्था को प्रतिभूतियों को अपने निवेश खाते में वास्तव में धारित किए जाने तक उनकी आगे पुनः बिक्री के लिए कोई संविदा नहीं करनी चाहिए । प्रतिभूतियों की किसी प्रकार की बिक्री केवल टी + 0 या टी + 1 समायोजन आधार पर की जानी चाहिए ।
- 4.6.2 बैंक आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए संविदा केवल उन्हीं संस्थाओं के साथ कर सकते हैं जिन संस्थाओं का सुपुर्दगी बनाव भुगतान (डीवीपी) पद्धति के माध्यम से अगले कार्य दिवस को सुपुर्दगी तथा निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक में एस जी एल खाता हो ।
- 4.6.3 बेची गई प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य आबंटन सूचना में दर्शाई गई प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- 4.6.4 दलाल /दलालों के बिना बिक्री का सौदा सीधे नहीं किया जाना चाहिए ।
- 4.6.5 इस प्रकार के बिक्री सौदों का अलग से रेकार्ड रखा जाना चाहिए जिसमें आबंटन सूचना की संख्या तथा तारीख, आबंटित प्रतिभूतियों का विवरण तथा अंकित मूल्य, खरीद, सुपुर्दगी की संख्या, तारीख और बेची गई प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य, बिक्री, वास्तविक सुपुर्दगी की तारीख तथा विवरण अर्थात् एसजीएल फार्म सं. आदि जैसे ब्योरे हों । इस रेकार्ड को सत्यापन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए । बैंकों को इस प्रकार के रेकार्ड रखे जाने में चूक के किसी मामले की वृचना तुरंत देनी चाहिए ।
- 4.6.6 प्राथमिक निर्गमों के लिए उसी दिन नीलामियों में आबंटित तथा प्रामाणिक आबंटन सूचना पर आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के इस प्रकार के बिक्री लेनदेनों की संगामी लेखा परीक्षा की जानी चाहिए तथा संबंधित लेखा परिक्षा रिपोर्ट प्रत्येक माह में एक बार बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए । इसकी एक प्रति शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजी जानी चाहिए ।
- 4.6.7 भुगतान न होने /चेक के नकारे जाने आदि के कारण बैंकों के एसजीएल खाते में प्रतिभूतियों के जमा न होने के चलते संविदाओं में होने वाली किसी चूक के लिए एकमात्र बैंक ही जिम्मेदार होंगे ।
- 4.7 बैंको को अपने लेन देनों के लिए प्रतिपक्षी के रूप में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर, वित्तीय संस्था, अन्य किसी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, बीमा कंपनी, म्युचुअल फंड या भविष्य निधि से संपर्क करना चाहिए । इस प्रकार प्रति-पक्षों के साथ प्रत्यक्ष सौदों को वरीयता दी जानी चाहिए । यह वांछनीय होगा कि अन्य बैंकों अथवा प्राथमिक डीलरों से कीमतों को नियंत्रित किया जाए जिनके पास प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक का सी एस जी एल खाता हो । निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के माध्यम से किए गये लेन देनों सहित सहकारी प्रतिभूतियों में किए गए सभी लेनदेनो की कीमतें भी भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) पर उपलब्ध हैं ।
- 4.8 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक भविष्य निधि, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, उच्च नेटवर्क वाले व्यक्तियों आदि के साथ सरकारी प्रतिभूतियों का खुदरा व्यापार कर सकते हैं बशर्ते :
- 4.8.1 बैंक को बिक्री एवं खरीद के दरमियान बिना किसी प्रतिबंध के प्रभावी बाजार कीमतों पर आउटराइट आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों खरीदने तथा बेचने की स्वतंत्रता हो ।
- 4.8.2 सरकारी प्रतिभूतियों का खुदरा व्यापार द्वितीयक बाजार लेनदेनों से उभरने वाली चालू बाजार दरों / वक्र के आधार पर होना चाहिए ।
- 4.8.3 प्रतिभूतिया जब तक भौतिक पर्चियों के रूप में बैंकों के संविभाग में अथवा भारतीय रिजर्व बैंक में दनके एसजीएल खाते में हों तब तक बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की कोई बिक्री नहीं की जानी चाहिए ।
- 4.8.4 बिक्री के जुरंत बाद बैंक द्वारा उसके बराबर राशि की कटौती अपने निवेश खातों तथा अपनी एसएलआर आस्तायों से भी की जानी चाहिए ।
- 4.8.5 बैंक के संगामी /सांविधिक लेखा परीक्षकों को इन लेनदेनों की जांच करनी चाहिए ।
- 4.8.6 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित बैंकों को पर्याप्त आंतरिक जांच /प्रणालियों की व्यवस्था करनी चाहिए ।
- 4.9 बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा का लाभ उठा सकते हैं । इस योजना के तहत प्राथमिक (शहरी)सहकारी बैंक सीधे अथवा किसी बैंक के जरिए अथवा किसी प्राथमिक डीलर के जरिए भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की किसी नीलामी में दो करोड. रुपए (अंकित मूल्य) तक की बोली लगा सकते हैं । इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी प्रकार की बोली लगाने के हुनर की जरूरत नहीं है क्यो कि दो करोड रुपये (अंकित मूल्य ) तक का आबंटन अंतिम दर के उस भारित औसत पर किया जाता है जो नीलामी से उभर का सामने आता है । प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सीधे अथवा किसी बैंक के जरिए अथवा किसी प्राथमिक डीलर के जरिए राज्य विकास ऋणों की नीलामी में भी भाग ले

सकते हैं जहां ब्याज दर ज्यादातर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही निर्धारित और अधिसूचित रहती हैं। नीलामी की तारीख से 4-5 दिन पहले ही प्रमुख समाचार पत्रों में इस आशय के विज्ञापन जारी कर दिए जाते हैं। भारत सरकार प्रतिभूतियों का छःमाही नीलामी कैलेंडर भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।

- 4.10 इस प्रकार की प्रतिभूतियों को धारण करने के लिए सी एस जी एल खातों का प्रयोग करना चाहिए तथा इस प्रकार के खातों उसी बैंक में हाने चाहिए जिनमें नकदी खाता रखा गया हो। सभी लेनदेनों में भुगतान बनाम सुपुर्दगी के लिए बैंकों को आग्रह करना चाहिए।
- 4.11 यदि सी एस जी एल खाता उपर्युक्त में से किसी गैर बैंकिंग संस्था में खोला गया है तो नामित निधि खाते (किसी बैंक में) के विवरण की सूचना उस संस्था को देनी चाहिए।
- 4.12 सभी लेनदेनों की निगरानी की जानी चाहिए ताकि सुपुर्दगी निपटान के दिन हो सके। निधि खाते तथा निवेश खाते का मिलान कारबार समाप्त होने से पहले एक ही दिन होना चाहिए।
- 4.13 खरीद और विक्री का निर्णय करने वाले अधिकारी निपटान एवं हिसाब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से अलग होने चाहिए।
- 4.14 निदेशक मंडल को सभी निदेश लेनदनों का महीने में कम से कम एक बार अवलोकन करना चाहिए।
- 4.15 बैंक अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों / भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षकों / अन्य लखा परीक्षकों द्वारा प्रति-जाँच को सुगम बनाने के लिए प्राप्त किए गए / जारी किए गए एस जी एल फॉर्मों का समुचित अभिलेख रखें।
- 4.16 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में सभी खरीद / विक्री लेनदेन अनिवार्यतः एस जी एल खाते (भारत में) अथवा सी एस जी एल खाते (किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / राज्य सहकारी बैंक / प्राथमिक डीलर / भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. में) अथवा निक्षेपागारों (एन एम डी एल / सी डी एल / एन एस सी सी एल) में अभौतिक खातों (डीमेट) के जरिए होने चाहिए।
- 4.17 किसी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में कोई लेनदेन किसी दलाल के जरिए भौतिक रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
- 4.18 सी एस जी एल / नामित निधि खाते रखने वाली संस्थाओं के लिए नामित निधि खातों में पूरी निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि लेनदेन करने से पहले विक्री के लिए सी एस जी एल खाते में पर्याप्त प्रतिभूतियों की खरीद की जा सके।
- 4.19 प्रतिभूतियों में बैंकों का लेनदेन सामान्यतः बड़े मूल्यों में होता है। इस लिए लेनदेन पूरा करने से पहले संवीदा पूर्ण करने की प्रतिपक्षी की क्षमता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, विशेषतः तब जब कि प्रतिपक्षी एक बैंक न हो।
- 4.20 एस एल आर प्रयोजनों के लिए प्रतिभूतियां खरीदते समय बैंक को प्रति-पक्षी से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाण्ड जो वह खरीदना चाहता है वह एस एल आर की स्थिति में है और वह उसी स्थिति में बना रहेगा। संदेह होने पर बैंक को इस का सत्यापन स्वतंत्र गॉटटों से कर लेना चाहिए।
- 4.21 जोखिम के संकेद्रण से बचने के लिए बैंकों के पास एक भली प्रकार का बहुमूर्खी निवेश संविभाग होना चाहिए। छोटे निवेश संविभागों को वरीयतः सरकारी प्रतिभूति जैसी उच्च सुरक्षा एवं तरलता वाली प्रतिभूतियों तक सीमित करना चाहिए।
- 4.22 प्राथमिक (शहरी) सरकारी बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में भारतीय प्रथमिक डीलर संघ निर्धारित आय तथा मुद्रा बाजार डीलर संघ (फिम्डा) का दिशानिर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

## 5. एसजीएल खाते के जरिए लेनदेनों का निपटान

### 5.1 एस.जी.एल खाता

- 5.1.1 एस.जी.एल सुविधा वाले बैंको द्वारा एस.जी.एल खातों के माध्यम से अंतरण केवल तभी किया जा सकता है यदि उनका एक नियमित चालू खाता रिजर्व बैंक में हो। सरकारी प्रतिभूतियों में सभी प्रकार के लेनदेन जिनके लिए एस.जी.एल सुविधा उपलब्ध है, केवल एस.जी.एल खाते के जरिए किए जाने चाहिए ,

- 5.1.2 विक्री लेन देनों को शामिल करने वाले एस.जी.एल अंतरण फार्मों को जारी करने से पहले बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास संबंधित एस.जी.एल खाते में पर्याप्त शेष राशि है। किसी भी परिस्थिति में, किसी बैंक द्वारा किसी दूसरे बैंक के पक्ष में जारी किए गए एस.जी.एल फार्म को एस.जी.एल खाते में पर्याप्त शेष राशि के अभाव में नकारा नहीं जाना चाहिए। क्रेता बैंक को चेक विक्रेता बैंक से एस जी एल अंतरण फार्म प्राप्त होने के बाद ही जारी करने चाहिए।
- 5.1.3 यदि एसजीएल अंतरण फार्म एसजीएल खाते में पर्याप्त शेष राशि के अभाव में नकार दिया जाता है, तो जिस बैंक ने फार्म जारी किया है उस पर निम्नलिखित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी :
- 5.1.3.1 एस.जी.एल फार्म की राशि (प्रतिभूति के क्रेता द्वारा अदा की गई खरीद की लागत) तुरंत विक्रेता बैंकों के रिजर्व बैंक में चालू खाते में नामे लिख दी जाएगी।
- 5.1.3.2 इस प्रकार नामे दर्ज करने के बाद यदि चालू खाते में कोई ओवर ड्राफ्ट हो तो रिजर्व बैंक द्वारा विचारधीन दिवस की भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह लि. की मांग मुद्रा उधार दर से 3% अधिक की दर पर ओवरड्राफ्ट की राशि पर दण्डात्मक ब्याज लगाया जाएगा।
- 5.1.3.3 यदि एस जी एल फार्म तीन बार नकार दिया जाता है तो बैंक को तीसरी बार नकोर जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए एस जी एल सुविधा के प्रयोग से कारोबार करने से वंचित कर दिया जाएगा। यदि सुविधा फिर चालू होने के बाद बैंक का कोई एस जी एल फार्म पुनः नकार दिया जाता है तो बैंक को रिजर्व बैंक के सभी पी डी ओ में एस जी एल सुविधा से स्थाई रूप से वंचित कर दिया जाएगा।

## 5.2 एस जी एल फॉर्म

- 5.2.1 एस.जी.एल अंतरण फॉर्म रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक प्रारूप में एक समान आकार के अर्ध सुरक्षा पत्र पर मुद्रित होना चाहिए। इन्हें क्रम से अंकित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक एस जी एल फॉर्म को हिसाब में लेने के लिए एक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए।
- 5.2.2 एस. जी. एल अंतरण फॉर्म बैंक के दो प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिनके हस्ताक्षर संबंधित लोक ऋण कार्यालय (पी डी ओ) में दर्ज होने चाहिए।
- 5.2.3 क्रेता बैंक द्वारा प्राप्त किए गए एस जी एल अंतरण फार्म तुरंत उसके एस जी एल खाते में जमा किए जाने चाहिए। बैंक द्वारा धारित एस जी एल अंतरण फार्म को लौटाकर कोई विक्री नहीं की जानी चाहिए।
- 5.2.4 विक्रेता बैंक द्वारा क्रेता बैंक के पक्ष में जारी किसी भी एस जी एल अंतरण फार्म के नकारे जाने की सूचना क्रेता बैंक द्वारा तुरंत रिजर्व बैंक के ध्यान में लाना चाहिए।

## 5.3 नियंत्रण, उल्लंघन तथा दंड के प्रावधान

- 5.3.1 जारी किए गए / प्राप्त किए गए एस जी एल अंतरण फॉर्मों का अभिलेख रखना चाहिए। एस जी एल खातों के संबंध में बैंक की बहियों के अनुसार बकाया को पी डी ओ की बहियों के बकाया से मिलना चाहिए। संबंधित पी डी ओ एस जी एल / सी एस जी एल खातों की शेष राशियों का मासिक विवरण सभी खाता धारकों को भेजेगा। जिन प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के पी डी ओ में एस जी एल / सी एस जी एल खाते हैं वे इन विवरणों का इस्तेमाल अपने एस जी एल / सी एस जी एल शेष राशियों का अपनी बहियों के अनुसार मासिक मिलान करने के उद्देश्य से कर सकते हैं तथा इस संबंध में स्थिति निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। इस मिलान की आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आवधिक रूप से जाँच भी की जानी चाहिए। अन्य बैंकों से प्राप्त एस जी एल अंतरण फॉर्मों की विश्वसनीयता के सत्यापन और प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ताओं की पुष्टिकरण हेतु एक प्रणाली होनी चाहिए।
- 5.3.2 बैंकों को संबंधित पी डी ओ को एक तिमाही प्रमाण पत्र भी भेजना चाहिए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पी डी ओ के एस जी एल खाते में पडी शेष राशियों का मिलान कर लिया गया है और इसे निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय

को भेज दी गई है ।

- 5.3.3 बैंको को प्रतिभूतियों के लेनदेनों के ब्योरे, अन्य बैंको द्वारा जारी किए गए एस जी एल अंतरण फॉर्मों के नकारे जाने के ब्योरे और उक्त अवधि के दौरान किए गए निवेश लेनदेनों की समीक्षा की मासिक आधार पर उच्च प्रबंधन को सूचना देने की एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए ।
- 5.3.4 सभी वचन-पत्रों, डिबेंचरों, शेयरों, बाण्डों आदि का ठीक प्रकार से रेकार्ड रखना चाहिए तथा उन्हें संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए । अलग से एक रजिस्टर रखा जाए जिसमें ली गई / पुनः जमा की गई प्रतिभूतियों के विवरण दर्ज हों । इनका आवधिक सत्यापन जैसे तिमाही या छःमाही में एकबार ऐसे व्यक्तियों द्वारा करवाया जाना चाहिए जो इनकी अभिरक्षा से संबंधित न हों ।
- 5.3.5 अन्य संस्थाओं में दर्ज प्रतिभूतियों के संबंध में प्रमाणपत्र तिमाही / छःमाही अंतरालों पर प्राप्त किया जाना चाहिए । इसी प्रकार, प्रति पक्ष के बकाया बैंक रसीदों का मासिक अंतरालों पर और पी डी ओ में एस जी एल खाता शेष का मासिक अंतरालों पर मिलान करना आवश्यक है ।
- 5.3.6 आंतरिक निरीक्षकों तथा संगामी लेखा परीक्षकों को लेनदेनों की निगरानी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सौदे बैंक के सर्वोच्च हित में किए गए हैं । सतर्कता कक्ष को बड़े लेनदेनों की नमूने के तौर पर आकस्मिक जाँच करनी चाहिए ।
- 5.3.7 संगामी लेखा परीक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक तिमाही के सूचना देने की लिए नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार बैंक द्वारा धारित निवेश वास्तव में उसके स्वामित्व में / उसके द्वारा धारित है जैसा कि भौतिक प्रतिभूतियों अथवा बकाया विवरण में बतौर प्रमाण दिया गया है। इस प्रकार का प्रमाण पत्र संबंधित तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर शहरी बैंक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक आता है ।

## 6. बैंक रसीदें (बीआर)

### 6.1 बैंक रसीद का उपयोग कब करें

- 6.1.1 किसी भी परिस्थिति में सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेनों के संबंध में कोई बैंक रसीद नहीं जारी की जानी चाहिए जिसके लिए एस जी एल सुविधा उपलब्ध है ।
- 6.1.2 अन्य प्रतिभूतियों के मामले में भी निम्नलिखित परिस्थितियों में हाजिर लेनदेनों के लिए बैंक रसीद जारी की जाएं :
- 6.1.2.1 जारी कर्ता द्वारा क्रिप्स अभी जारी की जानी हैं और बैंक के पास आबंटन सूचना हो ।
- 6.1.2.2 भौतिक रूप से प्रतिभूति किसी दूसरे केंद्र में रखी गई है और बैंक इस स्थिति में हो कि वह भौतिक रूप से प्रतिभूति का अंतरण और अल्प समयावधि केध भीतर उसकी सुपुर्दगी कर सके ।
- 6.1.2.3 अंतरण / ब्याज भुगतान के लिए प्रतिभूति जमा कर ली गई है और बैंक के पास इस प्रकार जमा की गई प्रतिभूतियों का आवश्यक रेकार्ड हो तथा वह अल्प अवधि के भीतर प्रतिभूति की भौतिक रूप से सुपुर्दगी करने की स्थिति में होगा।
- 6.1.3 बैंक द्वारा रखी गई किसी बैंक रसीद के आधार पर कोई बैंक रसीद जारी नहीं की जानी चाहिए तथा केवल बैंक द्वारा रखी गई बैंक रसीद के लेनदेन के आधार पर ही कोई बैंक रसीद जारी नहीं की जानी चाहिए ।
- 6.1.4 ऐसी बैंक रसीदें जारी की जाएं जिसकी परिधि में केवल बैंक के अपने निवेश खाते आएँ और बैंक द्वारा एठसी कोई बैंक रसीद जारी नहीं की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत दलालों सहित अन्य ग्राहकों के खाते से संबंधित लेनदेन आते हों ।

### 6.2 बीआर फार्मों का जारी किया जाना, उनकी अभिरक्षा रेकार्ड

- 6.2.1 बैंक रसीद अर्ध-सुरक्षा कागज पर, मानक प्रारूप में (आई बी ए द्वारा निर्धारित ) क्रम संख्या अंकित और बैंक के दो प्रधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित रूप में जारी की जानी चाहिए जिनके हस्ताक्षर अन्य बैंकों में दर्ज हों । जिस प्रकार एस जी एल फॉर्मों के मामले में होता है उसी प्रकार प्रत्येक बैंक रसीद फॉर्म को हिसाब में लेने के लिए एक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए ।



6.2.2 अप्रयुक्त बैंक रसीद फॉर्मों की अभिरक्षा तथा उनके इस्तेमाल के लिए एक समुचित प्रणाली होनी चाहिए ।

6.2.3 जारी की गई बैंक रसीद और प्राप्त की गई बैंक रसीद के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखे जाने चाहिए तथा ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनका वयवस्थित रूप से अनुवर्तन किया जाता है तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर उनको परिसमाप्त किया जाता है ।

6.2.4 अन्य बैंकों से प्राप्त बैंक रसीद की विश्वसनीयता के सत्यापन और प्राधिकृत हस्ताक्षरों के पुष्टीकरण के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए ।

### 6.3 बैंक रसीद के माध्यम से निपटान

6.3.1 किसी बैंक रसीद को 15 दिनों से अधिक समय के लिए लंबित नहीं होना चाहिए ।

6.3.2 किसी बैंक रसीद का मोचन केवल क्रिप्स की वास्तविक सुपुर्दगी द्वारा किया जाना चाहिए न कि एक लेन देन के लिए

के दूसरे लेनदेन /हानि की पूर्ति को खारिज करके । यदि किसी बैंक रसीद का मोचन 15 दिनों की वैधता अवधि के

के भीतर क्रिप्स की सुपुर्दगी के द्वारा नहीं होता है तो बैंक रसीद को नकारा मान लिया जाएगा और जिस बैंक ने बैंक

रसीद जारी किया है उसे यह मामला रिजर्व बैंक भेजना चाहिए जिसमें उन परिस्थितियों को बताया गया हो जिसके कारण क्रिप्स को निर्धारित अवधि के भीतर सुपुर्द नहीं किया जा सका था और लेनदेनों के निपटान के प्रस्तावित तरीके को भी बताया गया हो ।

### 6.4 नियंत्रण, उल्लंघन तथा दण्ड संबंधी उपबंध

6.4.1 सांविधिक लेखापरीक्षकों को संबंधित कार्यालयों में नियंत्रणों की मौजूदगी उनके परिचालन की, अन्य बातों के साथ, समीक्षा करनी चाहिए और इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400 018 को प्रेषित किया जाए ।

6.4.2 बैंक रसीद से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें प्रारक्षित निधि आवश्यकताएं बढ़ाना, भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त का आहरण और मुद्रा बाजार में प्रवेश की अस्वीकृति शामिल हो सकती है । भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रकार का अन्य दंड भी लगा सकता है जो उसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू ) के प्रावधानों के अनुसार अनयुक्त लगे।

6.4.3 आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा विसंगतियों के समाधान की आवश्यक तौर पर जांच करनी चाहिए ।

## 7. दलालों को रखना

### 7.1 दलालों के जरिए कारोबार

7.1.1 अंतर-बैंक प्रतिभूतियों से संबंधित लेनदेन सीधे तौर पर बैंकों के बीच होने चाहिए तथा किसी बैंक को इस प्रकार के

लेनदेनों में किसी दलाल की सेवाएं नहीं लेनी चाहिए । तथापि, बैंक राष्ट्रीय शेयर बाजार तथा मुंबई शेयर बाजार /

ओ टी सी बाजार के सदस्यों के जरिए आपस में अथवा गैर-बैंकिंग ग्राहकों के साथ प्रतिभूतियों का लेनदेन कर सकते

हैं जहां लेनदेन पारदर्शी होते हैं । यदि प्रतिभूतियों का कोई लेनदेन राष्ट्रीय शेयर बाजार, भारतीय ओ टी सी बाजार

या मुंबई शेयर बाजार में नहीं किया गया हो तो बैंकों द्वारा उसे सीधे तौर पर बिना दलालों के किया जाना चाहिए ।

7.1.2 द्वितीयक बाजार (अंतर-बैंक लेनदेनों के अलावा) में अनुमत शयों तथा पी एस यू बाण्डों की खरीद सिर्फ मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों तथा पंजाकृत शेयर दलालों के जरिए की जानी चाहिए ।

7.1.3 एसबीआई भारतीय मिति काटा और वित्त गृह लि.(डी एफ एच आई) को अंतर- बैंक सहभागिता बाजार में एक दलाल के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है । इससे बैंक यदि आवश्यक हो तो उधार लेने उधार देने के लिए एसबीआई डी एफ एच आई से मध्यस्थता के लिए आग्रह करें । तथापि, यदि चाहें तो बैंक अंतर-बैंक सहभागिता बाजार में सीधे लेनदेन तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

- 7.1.4 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केंद्र / राज्य सरकार के ऋणों का ग्राहक बनने के संबंध में बैंकों के आवेदन सीधे भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय स्टेट बैंक के प्राप्त कर्ता कार्यालयों को प्रस्तुत किए जाते हैं और मध्यस्थ या दलालों का इस्तेमाल उसके लिए नहीं करना चाहिए ।
- 7.1.5 इसी तरह, जब निवेश बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के जरिए किया जाता है तो बैंक को अपनी मुहरों वाले संबंधित आवेदन सीधे प्राप्तकर्ता कार्यालयों को प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।
- 7.1.6 यदि कोई सौदा किसी दलाल के जरिए किया जाता है तो दलाल की भूमिका सौदे के लिए दोनों पक्षों को साथ लाने तक सीमित होनी चाहिए ।
- 7.1.7 दलालों के जरिए सौदे होने के बाद दूसरे पक्ष का खुलासा करने का आग्रह किया जाना चाहिए ।
- 7.1.8 दूसरे पक्ष से संविदा की पुष्टि करने का आग्रह किया जाना चाहिए ।
- 7.1.9 भुगतान प्रक्रिया में दलालों को तनिक भी शामिल नहीं करना चाहिए अर्थात् निधि निपटान तथा प्रतिभूति की सुपुर्दगी दोनों सीधे दूसरे पक्ष के साथ करनी चाहिए ।

## 7.2 दलालों का पैनाल

- 7.2.1 बैंकों को अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से दलालों की एक सूची बनानी चाहिए ।
- 7.2.2 दलालों का परिचय सत्यापित करने के बाद उन्हें सूची में रखना चाहिए उदाहरणार्थ :
- (क) सेबी पंजीकरण
- (ख) ऋण बाजार के लिए बी एस ई / एन एस ई / ओ टी सी ई आई की सदस्यता
- (ग) शेअर बाजार / बाजारों द्वारा प्रमाणित किए अनुसार गत वर्ष में बाजारी कारोबार ।
- (घ) बाजार प्रतिष्ठा आदि ।
- 7.2.3 बैंक को सेबी / संबंधित शेयर बाजारों की वेबसाइटों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दलाल का नाम प्रतिबंधित सूची में नहीं रखा गया है ।

## 7.3 दलालों की सीमाएं

- 7.3.1 कारोबार के एक असमानुपाती हिस्से का लेनदेन केवल एक या कुछ दलालों के जरिए नहीं किया जाना चाहिए । बैंकों को प्रत्येक अनुमोदित दलाल के लिए कुल संविदा निर्धारित करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सीमाओं का उल्लंघन न हो । कृत कारोबार के दलालवार ब्योरों तथा दी गई दलाली का दलालवार अभिलेख रखना चाहिए ।
- 7.3.2 एक वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा किए गए कुल लेनदेनों (खरीद तथा विक्री दोनों) के 5% की सीमा को प्रत्येक अनुमोदित दलाल की संपूर्ण उच्चतम संविदा सीमा के रूप में माना जाना चाहिए ।
- 7.3.3 इस सीमा के भीतर बैंक द्वारा प्रवर्तित कारोबार तथा किसी दलाल द्वारा बैंक को दिए गए / लाए गए कारोबार दोनों ही आ जाने चाहिए ।
- 7.3.4 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सामान्य तौर पर एक वर्ष के दौरान व्यक्तिगत दलालों के जरिए किए गए लेनदेन निर्धारित सीमा से अधिक न हों । तथापि यदि किसी दलाल के लिए समग्र सीमा पार करना आवश्यक हो तो उसके लिए विशेष कारण सौदे करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने चाहिए । इस प्रकार के मामलों में, उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने के बाद निदेशक मंडल का कार्यान्वयन अनुमोदन लिया जा सकता है जिनमें उक्त सीमा पार की गई थी ।

**टिप्पणी:** इस संबंध में बैंकों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण अनुबंध I में दिए गए हैं।

## 8. भारतीय समाशोधन निगम लि.के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदनों के संबंध में निपटान

- 8.1 01 अप्रैल 2003 से सभी सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन (प्रत्यक्ष और रिपो दोनों) केवल भारतीय समाशोधन निगम लि. के माध्यम से किए जा रहे हैं । बैंकों द्वारा एन डी एस/सी सी आई एल प्रणाली से बाहर निपटान के लिए

- प्रतिभूतियों में किए गए किसी भी लेनदेन को भारतीय रिजर्व बैंक उस तारीख से स्वीकार नहीं कर रहा है।
- 8.2 प्राथमिक (शहरी) सरकारी बैंकों को जो एन डी एस / सी सी आई एल प्रणाली के सदस्य नहीं हैं, किसी एन डी एस सदस्य के गिल्ट खातों / डीमेंट खाते के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों का अपना लेनदेन करना चाहिए।
- 8.3 सरकारी प्रतिभूतियों में सभी प्रत्यक्ष द्वितीयक बाजार लेनदेनों का निपटान 25 मई 2005 से टी+1 आधार पर किया जाएगा। तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेनों के मामले में बाजार प्रतिभागियों के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार टी+0 आधार अथवा टी+1 आधार पर निपटान का विकल्प खुला होगा।
- 8.4 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 के तहत कर्ज जारी करने के लिए पुनर्निर्धारण की रूपरेखा के भाग के रूप में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर आंतरिक तकनीकी समूह ने केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में "जब जारी" बाजार शुरू करने की सिफारिश की थी। "जब जारी" अर्थात् "जब, जैसे कि और यदि जारी" का आशय प्रतिभूति का सर्शत लेनदेन है जिसे जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है परंतु वास्तव में जारी नहीं किया गया। सभी "जब जारी" लेनदेन एक "यदि" आधार पर किए जाते हैं जिसका परिनिर्धारण यदि तथा जब

वास्तविक प्रतिभूति जारी की जाती है तब किया जाना है। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में "जब जारी" लेनदेन की अनुमति सभी एनडीएस-ओएम सदस्यों को दी गई है। प्रारंभिक लेनदेन ("जब जारी" प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद) केवल एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर ही किए जाएंगे। शहरी सहकारी बैंकों को "जब जारी" लेनदेन का कवर लेग एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म के बाहर अर्थात् टेलीफोन मार्केट के जरिए भी करने की अनुमति होगी। "जब जारी" लेनदेन की रिपोर्टिंग करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर में एक बार संशोधन हो जाने के बाद उक्त उपायों को कार्यान्वित कर दिया जाएगा और उसकी सूचना अलग से संबंधित शहरी सहकारी बैंकों को दी जाएगी। "जब जारी" प्रतिभूतियों में किए गए लेनदेन में लेखाकरण निम्न प्रकार किया जाएगा:

- (क) प्रतिभूति जारी करने तक "जब जारी" प्रतिभूति को तुलनपत्र से इतर मद के रूप में बहियों में दर्ज किया जाए।  
 (ख) "जब जारी" बाजार में तुलनपत्र से इतर निवल स्थिति, मार्केट क्रिप-वाइज में दैनिक रूप से "जब जारी" प्रतिभूति के उस दिन के बंद भाव पर दर्ज करना चाहिए। "जब जारी" प्रतिभूति का भाव मालूम न होने की स्थिति में (

12

जुलाई 2006 के मास्टर परिपत्र सं 8 में निर्धारित किये गये अनुसार) उसके स्थान पर आधार प्रतिभूति के भाव

का

उपयोग किया जाए। यदि कोई मूल्य हास हो तो उसे सूचित करें और कोई वृद्धि हो तो उस पर ध्यान न दे।

- (ग) "जब जारी" बाजार में तुलनपत्र से इतर (नीवल) स्थिति, क्रिप-वार 2.5% जोखिम भारित रहेगी।  
 (घ) सुपुर्दा के बाद आधार प्रतिभूति नियंत्रण में रखने के उद्देश्य के आधार पर करारबद्ध मूल्य पर तीन वर्गों में जैसे ;  
 "परिपक्वता के लिए धारित", "बिक्री के लिए उपलब्ध", "व्यापार के लिए धारित" में वर्गीकृत कर सकते हैं।  
 8.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि "जब जारी" बाजार में जब प्रतिभूतियां खरीदी जाती हैं सुपुर्दा के बाद एसएलआर हेतु पात्र हैं।

## 9. शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार

- 9.1 सरकारी प्रतिभूतियों में फुटकर सहित सभी वर्गों के निवेशकों की व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने की दृष्टि से शेयर बाजारों की एक राष्ट्रव्यापी अज्ञात, आदेश चालित, चित्रपट आधारित प्रणाली के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार करने की शुरुआत करने का निर्णय किया गया है, ठीक उसी प्रकार जिस प्राकर ईक्विटी का कारोबार होता है। शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार केवल अभौतिक रूप (डीमैट) में करने की सुविधा रिजर्व बैंक के वर्तमान एनडीएस जो ज्यों को त्यों बना रहेगा, के अतिरिक्त बैंकों में उपलब्ध होगी।

- 9.2 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के पास भारतीय रिजर्व बैंक में एसजीएल खातों से अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ प्राथमिक व्यापारी / राज्य सहकारी बैंक आदि जैसी निर्दिष्ट संस्थाओं के सीएसजी एल के माध्यम से कारोबार की मौजूदा प्रणाली के अतिरिक्त राष्ट्रीय श्टायर बाजार, मुंबई शेयर बाजार तथा ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्वचलित आदेश आधारित प्रणाली से सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार अभौतिक रूप (डीमैट) में करने का विकल्प है।

- 9.3 चूंकि उपर्युक्त शेयर बाजारों में कारोबार की सुविधा सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार करने की वर्तमान प्रणाली के समानांतर क्रियाशील रहेगी, इसलिए शेयर बाजारों में किए गए कारोबारों का समाशोधन उनके संबंधित समाशोधन निगमों / समाशोधन गृहों द्वारा किया जाएगा। तथापि, शेयर बाजारों के कारोबारी सदस्यों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी संस्था के लिए निपटान प्रणाली में शामिल नहीं किया जाएगा। ए3बैंकों के शेयर बाजार से जुड़े सभी कारोबारों का निपटान प्रत्यक्ष रूप से समाशोधन निगम / समाशोधन गृह (यदि वे समाशोधन सदस्य हों) या किसी समाशोधन सदस्य अभिरक्षक के माध्यम से किया जाना होगा।

- 9.4 शेयर बाजारों के संस्थागत निवेशकों के रूप में बैंक केवल प्रतिभूतियां देने तथा उनकी सुपुर्दा लेने के आधार पर लेनदेन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आंतर दिवस के आधार पर भी सरकारी प्रतिभूतियों की मंदड़िया बिक्री की अनुमति नहीं है।

- 9.5 भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और शेयर बाजारों द्वारा निर्धारित विनियमों के भीतर शेयर बाजारों में प्रतिभागिता को सुगम बनाने की दृष्टि से बैंकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

- 9.5.1 भारतीय रिजर्व बैंक/प्राधिकृत संस्थाओं में एसजीएल/सीएसजीएल खातों के अलावा एनएसडीएल/सीडीएसएल अथवा एसएचसीआई एल के किसी बैंक निक्षेपागार प्रतिभागी के यहां डीमैट खाते खोलना।

- 9.5.2 हमारे सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा अलग से सभी एसजीएल खाताधारकों को जारी परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अध्वधीन एसजीएल/सीएसजीएल और डीमैट खातों के बीच प्रतिभूतियों के मूल्य मुक्त अंतरण की सुविधा लोक ऋण कार्यालय, मुंबई पर मुहैया करवाई जा रही है।

- 9.6 बैंकों द्वारा निक्षेपागारों में रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों की शेष राशि की गणना एसएलआर के प्रयोजन के लिए की जाएगी। निपटान की असफलता से (एनडीएस-सीसीआईएल बाजार या शेयर बाजार) सीआरआर/एसएलआर को बनाए रखने में होने वाली किसी कमी के कारण भी सामान्य दंड लगाए जाएंगे।
- 9.7 मौजूदा एनडीएस-सीसीआईएल बाजार तथा सीधी बोली सुविधा के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए शेयर बाजार के प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने के संबंध में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल सतर्क होकर निर्णय लें। जहां तक सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबार का संबंध है, चूंकि सेबी के विनियम भी लागू होंगे इसलिए निदेशक मंडल को एक समुचित नीति बनानी और कार्यान्वित करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी और संबंधित शेयर बाजार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किए गए हैं। परिचालन शुरू होने से पहले संबंधित अधिकारियों को शेयर बाजारों की बुनियादी परिचालनगत प्रक्रियाओं से स्वयं को परिचित कराना चाहिए।
- 9.8 **शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबार से संबंधित परिचालनगत दिशानिर्देश**
- 9.8.1 बैंकों को शेयर बाजारों में परिचालन शुरू होने से पहले समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां भी स्थापित करनी चाहिए जो शेयर बाजार के कारोबार तथा निपटान की जरूरत पूरी करती हों। बैंक ऑफिस व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि एनडीएस/ओटीसी बाजार और शेयर बाजारों में कारोबार का निपटान, समाधान तथा प्रबंधन सूचना के लिए आसानी से पता लगाया जा सके। इसलिए बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी आधार भूत ढाँचा तथा पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए।
- 9.8.2 खरीद/बिक्री के आदेश देने के लिए सेबी द्वारा पंजीकृत केवल उन दलालों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के लिए अनुमत श्टायर बाजारों (एनएसई बीएसई या ओटीसीआई) द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं। दिन की समाप्ति पर कार्यान्वयन का समय दर्शाने वाला एक वैध संविदा नोट दलाल से प्राप्त किया जाना चाहिए।
- 9.8.3 संबंधित अधिकारियों को दलालों के पास खरीद / बिक्री के आदेश देने से पहले स्वतंत्र रूप से बाजार में तथा श्टायर बाजार से क्रिन पर कीमतों की जाँच कर लेनी चाहिए। बैंकों द्वारा निर्णयन प्रक्रियाओं को दलालों को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता।
- 9.8.4 किसी दलाल द्वारा किए गए लेनदेन दलालों द्वारा किए गए लेनदेनों पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।
- 9.8.5 दलाल/कारोबार सदस्य निपटान प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। सभी कारोबार समाशोधन सदस्य अभिरक्षकों के मार्फत निपटाए जाने हैं। अतः प्राथमिक (शहरी) सहाकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे इस प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले के साथ पहले ही एक द्विपक्षीय समाशोधन समझौता करें।
- 9.8.6 सभी लेनदेनों की निगरानी इस दृष्टि से करनी होगी कि निधियों और प्रतिभूतियों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। किसी प्रकार के विलंब अथवा चूक के मामले को तुरंत संबंधित शेयर बाजार / अधिकारियों के साथ उठाना चाहिए।
- 9.8.7 कारोबार के समय, प्रतिभूतियां बैंकों के पास उनके एसजीएल या निक्षेपागारों में उनके डीमैट खाते में उपलब्ध होनी चाहिए।
- 9.8.8 प्रतिभूतियों की गैर-सुपुर्दगी / निर्बाध निधियों की अनुपलब्धता के कारण निपटान संबंधी किसी प्रकार की चूक को एसजीएल का नकारा जाना समझा जाएगा और एसजीएल नकारे जाने के संबंध में मौजूदा दंड लागू होंगे। शेयर बाजार इस प्रकार की चूकों की सूचना संबंधित लोक ऋण कार्यालयों को देंगे।
- 9.8.9 शेयर बाजारों की क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली के माध्यम से सीमित प्रयोजन के लिए किसी प्राथमिक (शहरी) सहाकारी बैंक पर यह शर्त नहीं लागू होगी कि सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करते समय उसे प्रति-पक्ष के रूप में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर, वित्तीय संस्था, किस दूसरे प्राथमिक (शहरी) सहाकारी बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड या भविष्य निधि से संपर्क करना चाहिए।
- 9.8.10 बैंकों को अपने निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को साप्ताहिक आधार पर सूचना देनी चाहिए जिसमें शेयर बाजारों में किए गए व्यापारों के कुल योग के आधार पर किए गए शेयर बाजारों में बंद लेनदेनों के ब्यौरे दिए गए हों।
- 9.8.11 बैंकों को प्रतिभूतियों से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभी तक जारी तत्संबंधी सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए।

## 10. सरकारी प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा संविदाएं

- 10.1 प्रतिभूति संविदा (संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29क से प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई 22 जनवरी 2003 की अधिसूचना सं.एस.ओ.131(ई) के अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहाकारी बैंक केवल

(i) तथा भारत सरकार खजाना बिलों तथा (ii) राज्य सरकारों द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा संविदाएं (विलोम हाज़िर वायदा संविदाओं सहित) कर सकते हैं।

10.2 उपर्युक्त प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा संविदाएं निम्नलिखित के साथ की जा सकती हैं:

10.2.1 व्यक्ति या संस्था जिसका भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में एस जी एल खाता हो।

10.2.2 निम्नलिखित प्रकार की संस्थाएं जिनका भारतीय रिज़र्व बैंक एसजीएल खाता नहीं है लेकिन किसी बैंक या अन्य किसी संस्था (अर्थात अभिरक्षक) के पास गिल्ट खाते (अर्थात गिल्ट खाताधारक) हो, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने लोक ऋण कार्यालय, मुंबई में ग्राहक सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) बनाए रखने की अनुमति दी गई हो:

- (i) कोई अनुसूचित बैंक
- (ii) गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
- (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत प्राथमिक व्यापारी (पीडी)
- (iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनियों के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
- (v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा पंजीकृत कोई म्यूचुअल फंड
- (vi) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पंजीकृत कोई आवास वित्त कंपनी तथा
- (vii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा पंजीकृत कोई बीमा कंपनी।

10.3 उपर्युक्त 10.2.2 में निर्धारित सभी व्यक्ति तथा संस्थाएं निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपस में हाज़िर वायदा संविदाएं कर सकते हैं:

10.3.1 कोई एसजीएल खाताधारक स्वयं अपने ग्राहक के साथ हाज़िर वायदा संविदा नहीं कर सकता। अर्थात किसी अभिरक्षक तथा उसके गिल्ट खाताधारक के बीच हाज़िर वायदा संविदाएं नहीं की जानी चाहिए।

10.3.2 कोई दो गिल्ट खाताधारक जिनका एक ही अभिरक्षक (अर्थात सीएसजीएल खाताधारक) के पास अपना गिल्ट खाता हो, एक-दूसरे के साथ हाज़िर वायदा संविदाएं नहीं कर सकते, तथा

10.3.3 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ हाज़िर वायदा संविदाएं नहीं कर सकते। तथापि, यह प्रतिबंध सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक व्यापारियों के साथ रेपो लेनदेनों पर लागू नहीं होगा।

10.4 सभी हाज़िर वायदा संविदाओं की सूचना तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) को दी जानी चाहिए। गिल्ट खाताधारकों से संबंधित हाज़िर वायदा संविदाओं के संबंध में अभिरक्षक (अर्थात सीएसजीएल खाताधारक) जिसके पास

गिल्ट खाते रखे गए हैं, अपने ग्राहकों (गिल्ट खाताधारक) की तरफ से तयशुदा लेनदेन प्रणाली को लेनदेनों के बारे में सूचना देने के लिए जिम्मेदार होगा।

10.5 सभी हाज़िर वायदा संविदाओं का निपटान रिज़र्व बैंक में ग्राहकों के एसजीएल खातों या भारतीय रिज़र्व बैंक में भारतीय समाशोधन निगम लि. के सीएसजीएल खातों के जरिए किया जाएगा जो इस प्रकार के सभी हाज़िर वायदा लेनदेनों के लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करता है।

10.6 अभिरक्षक को आंतरिक नियंत्रण तथा संगामी लेखापरीक्षा की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:

10.6.1 हाज़िर वायदा लेनदेन गिल्ट खाते में प्रतिभूतियों के केवल स्पष्ट शेष के प्रति किया जाता है,

10.6.2 इस प्रकार के सभी हाज़िर वायदा लेनदेनों की सूचना तुरंत तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) को दी जाती है, तथा

10.6.3 उपर्युक्त सभी शर्तों एवं निबंधनों का अनुपालन किया गया है।

10.7 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक केवल निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संबंधी अपेक्षाओं से अधिक राशि में धारित प्रतिभूतियों में ही हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं।

10.8 किसी हाज़िर वायदा लेनदेन के प्रथम चरण में प्रतिभूतियों के किसी बिक्रेता द्वारा संविभाग में प्रतिभूतियों को वास्तविक रूप में धारित किए बिना बिक्री संबंधी कोई लेनदेन नहीं किया जाना चाहिए।

10.9 हाज़िर वायदा संविदाओं के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां संविदा की अवधि के दौरान नहीं बेची जानी चाहिए।

#### 10.10 बाई-बैंक व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिबंध

10.10.1 बैंकों को खजाना बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियों में दोहरे हाज़िर वायदा लेनदेन नहीं करना चाहिए।

10.10.2 कोई हाज़िर वायदा तथा दोहरा हाज़िर वायदा लेनदेन न तो बैंकों के बीच और न ही सावजनिक क्षेत्र के बांडों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों आदि जैसी अन्य प्रतिभूतियों में उनके निवेश खातों में किया जाना चाहिए।

10.10.3 कोई हाज़िर वायदा तथा दोहरा हाज़िर वायदा लेनदेन दलालों सहित अन्य ग्राहकों की तरफ से सरकारी प्रतिभूतियों सहित किसी प्रतिभूति में नहीं किया जाना चाहिए।

#### 11. रिपो / रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए एक समान लेखाकरण

11.1 रिपो / रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए एक समान लेखाकरण सुनिश्चित करने तथा उसमें पारदर्शिता के तत्व के समावेश के लिए बैंकों को एक समान लेखाकरण सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए जिनका विवरण नीचे दिया

गया है:

11.1.1 एक समान लेखाकरण सिद्धांत वित्तीय वर्ष 2003-2004 से लागू होंगे। कार्यान्वयन के बाद बाजार के प्रतिभागी निवेशों की तीन श्रेणियों अर्थात् कारोबार के लिए धारित, विक्री के लिए उपलब्ध एवं परिपक्वता तक धारित में से किसी एक श्रेणी से रिपो ले सकते हैं।

11.1.2 मौजूदा विधि के अंतर्गत रिपो के वैधानिक स्वरूप अर्थात् एकमुक्त खरीद तथा एकमुक्त विक्री लेनदेनों को यह सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित रखा जाएगा कि रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों (बेचने वाली संस्था को "विक्रेता" के रूप में माना गया है) को प्रतिभूतियों के विक्रेता के निवेश खाते से निकाल दिया गया है और रिवर्स रिपो (खरीदने वाली संस्था को "क्रेता" के रूप में माना गया है) के अंतर्गत खरीदी प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के क्रेता के निवेश खाते में शामिल किया गया है / इसके अतिरिक्त, क्रेता एस एल आर के प्रयोजन से रिपो की अवधि के दौरान रिवर्स रिपो लेनदेन के अंतर्गत अर्जित की गई अनुमोदित प्रतिभूतियों की गणना कर सकते हैं।

11.1.3 इस समय, खजाना बिलों तथा दिनांकित राज्य सरकार प्रतिभूतियों सहित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेन की अनुमति दी गई है। चूंकि, प्रतिभूतियों को क्रेता परिपक्वता तक नहीं रखेगा इसलिए रिवर्स रिपो के अंतर्गत बैंकों द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों को परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। रिपो के प्रथम चरण की संविदा प्रभावी बाजार दरों पर की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, रिपो / रिवर्स रिपो लेनदेन में प्राप्त / भुगतान किए गए उपचित ब्याज तथा स्पष्ट कीमत (अर्थात् कुल नकदी लेनदेनों में से उपचित ब्याज घटाकर) को अलग-अलग तथा विशेष रूप से हिसाब में लेना चाहिए।

11.2 रिपो / रिवर्स रिपो को हिसाब में लेते समय अनुपालन किए जाने वाले अन्य लेखाकरण सिद्धांत निम्नवत होंगे:

#### 11.2.1 कूपन

यदि रिपो के अंतर्गत प्रतिभूति के प्रस्तावित ब्याज भुगतान की तारीख रिपो अवधि के भीतर पड़ती है तो प्रतिभूति के क्रेता द्वारा प्राप्त किए गए कूपन प्राप्ति की तारीख पर विक्रेता को भेज दिया जाना चाहिए क्योंकि दूसरे चरण में विक्रेता द्वारा देय नकदी में मध्यवर्ती नकदी प्रवाह शामिल नहीं किया जाता। हालांकि विक्रेता रिपो की अवधि के दौरान कूपन जमा कर लेगा तथापि विक्रेता रिपो की अवधि के दौरान कूपन उपचित नहीं करेगा। खजाना बिलों जैसे भुनाए गए लिखतों के मामले में चूंकि कोई कूपन नहीं होता, विक्रेता रिपो की अवधि के दौरान वास्तविक भुनाई दर पर भुनाई उपचित करता रहेगा। इसलिए, क्रेता रिपो की अवधि के दौरान भुनाई उपचित नहीं करेगा।

#### 11.2.2 रिपो ब्याज आय / व्यय

रिपो के दूसरे चरण / रिवर्स रिपो लेनदेन होने के बाद ,  
(क) प्रथम चरण और दूसरे चरण के बीच प्रतिभूति के स्पष्ट मूल्य में अंतर की गणना क्रमशः क्रेता / विक्रेता की बहियों में

रिपो ब्याज आय / व्यय के रूप में की जाएगी;  
(ख) दो चरणों के लेनदेन के बीच भुगतान किए गए उपचित ब्याज के बीच अंतर को मामले के अनुसार रिपो ब्याज आय / व्यय खाते के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए; तथा

(ग) रिपो ब्याज आय / व्यय खाते में बकाया शेष को लाभ तथा हानि खाते में आय या व्यय के रूप में अंतरित कर दिया

जाना चाहिए। जहां तक तुलन पत्र की तारीख को शेष रिपो / रिवर्स रिपो लेनदेनों का संबंध है, तुलन पत्र की तारीख तक केवल उपचित आय / व्यय को लाभ और हानि खाते में लिया जाना चाहिए। शेष लेनदेनों के संबंध में

बाद की अवधि के लिए किसी रिपो / आय/ व्यय की गणना अगली लेखाकरण अवधि के लिए की जानी चाहिए।

#### 11.2.3 बाजार भाव पर दर्शाना

प्रतिभूति के निवेश वर्गीकरण के अनुसार रिवर्स रिपो लेनदेनों के अंतर्गत प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को क्रेता दैनिक बाजार मूल्य पर दर्शाएगा। उदाहरण के लिए, बैंकों के मामलों में यदि रिवर्स रिपो लेनदेनों के अंतर्गत प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को विक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है तो इस प्रकार की प्रतिभूतियों का बाजार भाव पर मूल्यन कम से कम एक तिमाही में एक बार किया जाना चाहिए। ऐसी संस्थाओं के मामले में जो निवेश वर्गीकरण संबंधी किसी मानदंड का

अनुपालन नहीं करती, रिवर्स रिपो लेनदेनों के अंतर्गत प्राप्त की गई प्रतिभूतियों का मूल्य उन संस्थाओं द्वारा उसी प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्य के संबंध में अनुपालन किए गए मानदंडों के अनुसार हो सकता है।

(क) तुलनपत्र की तारीख को बकाया रिपो लेनदेनों के संबंध में क्रेता तुलन पत्र की तारीख को प्रतिभूतियों को बाजार भाव पर दर्शाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मूल्यन संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार उन्हें हिसाब में लेगा।

(ख) विक्रेता लाभ और हानि खाते में मूल्य में अंतर के लिए प्रावधान और यदि रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति की विक्री कीमत उसके बही मूल्य से कम हो तो इस अंतर को तुलन पत्र में "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत दर्शाएगा।

(ग) विक्रेता लाभ तथा हानि खाते के प्रयोजन से किमत के अंतर को नगण्य मानेगा लेकिन यदि रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति की विक्री कीमत बही मूल्य से ज्यादा हो तो इस अंतर को तुलन-पत्र में "अन्य देयताओं" के अंतर्गत दर्शाएगा; तथा

(घ) इसी प्रकार, तुलन पत्र की तारीखों को रिपो /रिवर्स रिपो लेनदेनों में भुगतान किए गए / प्राप्त किए गए उपचित ब्याज को तुलन-पत्र में "अन्य आस्तियों" अथवा अन्य देयताओं के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

#### 11.2.4 पुनर्खरीद का बही मूल्य

विक्रेता दूसरे चरण में प्रतिभूतियों को वापस खरीदते समय मूल बही मूल्य (प्रथम चरण की तारीख को बहियों में अंकित मूल्य के अनुसार) पर रिपो खाते को नामे लिखेगा।

#### 11.2.5 प्रकटीकरण

बैंकों को तुलन पत्र के "नोट्स ऑन एकाउंट" में निम्नलिखित प्रकटीकरण करने चाहिए।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च की स्थिति के अनुसार
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				

#### 11.3 लेखाकरण विधि

अनुपालन की जाने वाली लेखाकरण विधि उदाहरणों सहित अनुबंध I तथा II (12 मई 2003 के हमारे परिपत्र शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.44/09.80.00/2002-03 के साथ संलग्न) में दी गई है। हालांकि अलग - अलग लेखाकरण प्रणालियों वाले बाजार प्रतिभागी उदाहरण में प्रयुक्त लेखाकरण शीर्षों से भिन्न लेखाकरण शीर्ष का प्रयोग कर सकते हैं, फिर भी ऊपर निर्धारित लेखाकरण सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, रिपो लेनदेनों से उत्पन्न विवादों से बचने के लिए प्रतिभागी फि म्डा द्वारा जिस दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया है उसके अनुसार द्विपक्षीय मास्टर रिपो समझौते करने पर विचार कर सकते हैं।

#### 12. गैर-एसएलआर निवेश

11.4 बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश संविभाग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए बैंकों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करें:

##### 11.4.1 विवेकपूर्ण सीमा

गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश किसी शहरी सहकारी बैंक के गत वर्ष के 31 मार्च को कुल जमाराशियों के 10 प्रतिशत की सीमा में जारी रहेंगे।

#### 11.4.2 लिखत

शहरी सहकारी बैंक निम्नलिखित लिखतों में निवेश कर सकते हैं:

(क) "ए"अथवा समतुल्य एवं उच्चतर रेटेड वाणिज्यिक पत्रों (सीपी), डिबेंचरों तथा बांड

(ख) ऋण म्युचुअल फंड तथा मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड म्युचुअल फंड की यूनितें

#### 11.4.3 प्रतिबंध

(क) सतत ऋण लिखतों में निवेश की अनुमति नहीं है।

(ख) गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश उपर्युक्त 12.1.2 (क) में निर्धारित एक न्यूनतम दर निर्धारण के अधीन होगा और किसी भी समय कुल गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जहाँ बैंकों ने पहले ही निर्धारित सीमा को पार कर लिया है वहाँ ऐसी प्रतिभूतियों में और निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) बहुत भारी छूट /जीरो कूपन बाण्डों में निवेश अवशिष्ट अवधि के लिए ऊपर वर्णित न्यूनतम दर निर्धारण और समतुल्य बाजार प्रतिफल के अधीन होगा।

(घ) ऋण म्युचुअल फंडों और मुद्रा बाजार म्युचुअल फंडों को छोड़कर म्युचुअल फंडों की इकाइयों में निवेश की अनुमति नहीं है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) सहित ऋण म्युचुअल फंडों और मुद्रा बाजार म्युचुअल फंडों को छोड़कर म्युचुअल फंडों की इकाइयों में विद्यमान धारिता को विनिविष्ट किया जाए। उस समय तक जब तक वे शहरी सहकारी बैंक के खातों में धारित हैं उन्हें 10 प्रतिशत सीमा की गणना के लिए गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के रूप में माना जाएगा। तथापि, शहरी सहकारी बैंक जोखिम प्रबंध नीति की इस प्रकार समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी म्युचुअल फंड की किसी भी योजना में अनुपात से अधिक उनका निवेश नहीं है।

(ङ) ऋण म्युचुअल फंडों और मुद्रा बाजार म्युचुअल फंडों और वाणिज्यिक पत्रों को छोड़कर गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाला निवेश होगा।

(च) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के शेयरों में नए निवेशों की अनुमति नहीं है। इन संस्थाओं में विद्यमान शेयर धारिता को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और उस समय तक जब तक वे शहरी सहकारी बैंकों की बहियों में धारित हैं उन्हें 10 प्रतिशत सीमा की गणना के लिए गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के रूप में माना जाएगा।

(छ) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात श्रेणी के अंतर्गत सभी नए निवेशों को कारोबार के लिए धारित (एचएफटी) /बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणियों के लिए यथालागू बाजार के लिए अंकित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

(ज) सभी गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश निर्धारित विवेकपूर्ण एकल /समूह काउंटरपार्टी निवेश सीमा के अधीन होंगे।

(झ) गौण बाजार गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों के अर्जन /बिक्री के लिए सभी लेनदेन काउंटरपार्टियों के रूप में केवल वाणिज्यिक बैंकों /प्राथमिक व्यापारियों के साा किया जाए।

#### 12.1.4. नीति

बैंक अपनी निवेश नीति की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उसमें वर्तमान में दी गई अनुमति के अनुसार गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात लिखतों में किए जाने वाले निवेश की प्रकृति एवं सीमा, जोखिम के लिए मापदंडों तथा निवेश धारित /हटा लेने की हानि-रहित सीमाओं का प्रावधान किया गया है। गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों के संबंध में जोखिम का पता लगाने तथा उसका विश्लेषण करने तथा समय पर उपचारात्मक उपाय करने के लिए बैंकों को समुचित जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ स्थापित करनी चाहिए।

#### 12.1.5 समीक्षा

बोर्ड द्वारा कम से कम छःमाही अंतरालों पर गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा की जानी चाहिए :

क) सूचना अवधि के दौरान कुल व्यवसाय (निवेश एवं विनिवेश)।

ख) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन।

ग) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन।

घ) जारीकर्ताओं /बैंक की बहियों में धारित प्रतिभूति निर्गमों की रेटिंग में परिवर्तन तथा उसके परिणामस्वरूप संविभाग की गुणवत्ता में हानि।

ङ) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात श्रेणी के अंतर्गत अनर्जक निवेशों की सीमा और उनके लिए पर्याप्त प्रावधान।

#### 12.1.6 प्रकटन

बैंकों को अनुबंध में दर्शाए गए अनुसार तुलनपत्र के 'नोट्स ऑन अकाउंट्स' के अंतर्गत गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों तथा अनर्जक निवेशों के जारीकर्तावार संघटन का ब्यौरा प्रकट करना चाहिए।

## 12.2 प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी के माध्यम से प्राप्त बांड/डिबेंचर



- i) बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री प्रतिफल के रूप में प्राप्त बांडों/डिबेंचरों को बैंकों की बहियों में गैर-एसएलआर निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथापरिभाषित बैंकों के गैर-एसएलआर निवेशों पर लागू होने वाले मूल्यन, वर्गीकरण तथा अन्य मानदंड प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनियों से बिक्री प्रतिफल से बैंकों द्वारा प्राप्त लिखतों पर लागू होंगे। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए अपनी जमाराशि के 10% की सीमा से अधिक इन निवेशों को धारित करने की अनुमति है। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को प्रतिभूति प्राप्तियों, पास-श्रू प्रमाणपत्रों या प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों में सीधे कोई निवेश करने की अनुमति नहीं है।
- ii) जब कोई बैंक अपनी वित्तीय आस्तियां प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनियों को बेचता है तो अंतरण के बाद उन्हें बैंक की बहियों से हटा दिया जाएगा।
- iii) यदि प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य से धारित प्रावधान घटाकर) से कम कीमत पर की गई हो तो कमी को ऋणों को बट्टे-खाते डालने से संबंधित सहकारी सोसायटियां अधिनियमों/नियमों/प्रशासनिक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अधीन बट्टे-खाता/उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना चाहिए।
- iv) यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक कीमत पर की गई हो तो अतिरिक्त प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया जाएगा लेकिन उसका उपयोग प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनियों को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई कमी/घाटे को पूरा करने में किया जाएगा।

### 12.3 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों का निवेश

#### 12.3.1 विवेकपूर्ण अंतर बैंक (सकल) निवेश सीमा

मांग मुद्रा /सूचना मुद्रा और जमाराशियों सहित सभी प्रयोजनों के लिए अन्य बैंकों (अंतर-बैंक) में किसी शहरी सहकारी बैंक द्वारा रखी गई कुल जमाराशियाँ यदि कुछ हों, और समाशोधन सुविधा, ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) सुविधा, मुद्रा तिजोरी सुविधा, विप्रेषण सुविधा और बैंक गारंटी, साख पत्र आदि जैसी गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए रखी गई हो तो उसे गत वर्ष के 31 मार्च तक अपनी कुल जमा देयताओं के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों में और अनुमत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में जमालेखा तथा अंतर-बैंक के निवेश के रूप में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों में निवेश के रूप में धारित शेष को इस 20 प्रतिशत की सीमा में शामिल किया जाएगा।

#### 12.3.2 विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटरपार्टी सीमा

विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) निवेश सीमा के भीतर किसी एकल बैंक के पास जमाराशियाँ गत वर्ष के 31 मार्च तक जमा करने वाले बैंक की कुल जमा देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

#### 12.3.3 विवेकपूर्ण सीमा में छूट

क) मौजूदा नीति के अनुसार टियर I के गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 15 प्रतिशत तक सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने से छूट दी गई है बशर्ते वह राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और आइडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास ब्याज धारण करने वाली जमाराशियों के रूप में रखी गई है। इन जमाराशियों को अंतर-बैंक निवेश सीमा पर विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गई है [पैराग्राफ 12.3.1 तथा 12.3.2.।

ख) संबंधित जिले के मध्यवर्ती सहकारी बैंक अथवा संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अनुरक्षित शेषों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात माना जाएगा। इन जमाराशियों को अंतर-बैंक निवेश सीमा पर विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गई है [पैराग्राफ 12.3.1 तथा 12.3.2.।

12.3.4 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियों का निवेश 17 मई 2003 के हमारे परिपत्र बीपीडी.पीसीबी.परि.46 /16.20.00 /2002-03 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रहेगा। तथापि, किसी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक में किसी गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक द्वारा गई जमाराशियाँ गत वर्ष के 31 मार्च तक जमाकर्ता बैंक की कुल जमाराशि जमाकर्ता बैंक की कुल जमा देयता के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत कुल अंतर-शहरी सहकारी बैंक जमाराशियाँ पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को उसकी कुल जमा देयताओं के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12.3.5 निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों को अपनी निधि स्थिति, चलनिधि और अन्य बैंकों में जमाराशियों के निवेश के लिए अन्य आवश्यकताओं, निधियों की लागत, ऐसी जमाराशियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर और ब्याज मार्जिन, काउण्टर पार्टी जोखिम आदि पर विचार करते हुए एक नीति तैयार करें और उसे अपने निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें। बोर्ड कम से कम छमाही अंतरालों पर स्थिति की समीक्षा करे।

### 13. आंतरिक नियंत्रण और निवेश लेखाकरण

#### 13.1 आंतरिक नियंत्रण

- 13.1.1 किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए एक सौदा पर्ची बनाई जानी चाहिए जिसमें प्रति-पक्ष के नाम से संबंधित ब्यौरा होना चाहिए कि क्या यह एक प्रत्यक्ष सौदा है या दलाल ले माध्यम से किया गया सौदा और यदि दलाल के माध्यम से किया गया हो तो प्रतिभूति, राशि, मूल्य, संविदा तिथि तथा समय का ब्यौरा उसमें होना चाहिए। प्रत्येक सौदे के लिए प्रति-पक्ष को पुष्टि की सूचना जारी करने की एक प्रणाली होनी चाहिए।
- 13.1.2 सौदा पर्चियां क्रम से अंकित होनी चाहिए तथा अलग से नियंत्रित भी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उचित रूप से हिसाब में लिया गया है।
- 13.1.3 दलाल/प्रति-पक्ष से प्राप्त वास्तविक संविदा नोट्स के सत्यापन के बाद पारित वाउचरों तथा प्रति-पक्ष द्वारा सौदे की पुष्टि के आधार पर लेखा अनुभाग को स्वतंत्रतापूर्वक लेखा-बहियों में प्रविष्टि करनी चाहिए।
- 13.1.4 किए गए सौदों तथा भुगतान की गई दलाली के दलालवार ब्यौरे का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।
- 13.1.5 आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को प्रतिभूतियों में लेनदेनों की लेखापरीक्षा सतत आधार पर करना चाहिए तथा निर्धारित प्रबंधन नीतियों एवं क्रियाविधियों की निगरानी करनी चाहिए तथा कमियों के बारे सूचना सीधे बैंक के प्रबंधतंत्र को देनी चाहिए।

#### 13.2 निवेश लेखाकरण

##### 13.2.1 लेखाकरण मानक

बैंकों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी से प्राप्त आय को एक कारगर प्रथा के रूप में बही खाते में दर्ज करने की एक समान लेखाकरण प्रथा की शुरुआत करने के लिए इस प्रकार की आय को नकदी आधार पर न कि उपचय आधार पर बही खाते में दर्ज किया जाना चाहिए। तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से होने वाली आय के संबंध में जहां लिखतों पर ब्याज दरें पूर्व-निर्धारित हैं, आय को उपचय आधार पर दर्ज किया जाए बशर्ते ब्याज का भुगतान नियमित रूप से किया जाता हो न कि राशि के रूप में।

##### 13.2.2 खंडित अवधि का ब्याज - सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

- 13.2.2.1 प्रतिभूतियों के अर्जन के समय सरकारी प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए खंडित अवधि के ब्याज के लेखाकरण प्रणाली में एक रूपता लाने और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखाकरण मानदंडों का अनुपालन करने की दृष्टि से बैंक को विक्रेता को कीमत के रूप में भुगतान किए गए खंडित अवधि के ब्याज का पूंजीकरण नहीं करना चाहिए बल्कि इसे लाभ और हानि लेखा के अंतर्गत एक मद के रूप में मानना चाहिए।
- 13.2.2.2 इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उपर्युक्त लेखाकरण प्रणाली में कराधान के प्रभावों पर विचार नहीं किया जाता और इसलिए बैंक को आयकर प्रधिकारियों द्वारा निर्धारित तरीके से आयकर संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए।

### 14. घोष समिति की सिफारिशें

धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए बैंकों को घोष समिति द्वारा की गई निम्नलिखित सिफारिशों का कार्यान्वयन करना चाहिए:

#### 14.1 संगामी लेखापरीक्षा

- 14.1.1 दुरुपयोग की संभावना की दृष्टि से अंतर-बैंक उधार, बिलों की पुनर्भुनाई आदि सहित निवेश, निधि प्रबंधन जैसे खजाना कारोबार की संगामी लेखा परीक्षा की जानी चाहिए और लेखा परीक्षा के परिणाम नियत अंतरालों पर बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के समक्ष रखे जाने चाहिए।
- 14.1.2 यह सुनिश्चित करना बैंकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि निवेश संविभाग के संचालन के संबंध में अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा की पर्याप्त प्रक्रियाएं मौजूद हैं।
- 14.1.3 संगामी लेखा परीक्षा में निम्नलिखित पहलू शामिल होने चाहिए :
- यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिभूतियों की खरीद और लेनदेन के संबंध में संबंधित विभाग ने अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर कार्य किया है।
  - यह सुनिश्चित किया जाए कि एसजीएल और डीमैट रूप में प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियां, जैसा कि बहियों में दर्शाया गया है, भौतिक रूप में धारित हैं।
  - यह सुनिश्चित किया जाए कि लेखाकारण इकाई बीआर, एसजीएल फॉर्मों, पर्चियों की सुपुर्दगी, प्रलेखीकरण एवं लेखाकरण के संबंध में दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।
  - यह सुनिश्चित किया जाए कि बिक्री या खरीद संबंधी लेनदेन बैंक के लिए लाभप्रद दरों पर किए जाते हैं।

- (i) दलालों की सीमाओं की समरूपता संवीक्षा की जाए और उनकी आवधिक रिपोर्टों में पाई गई अधिकता को शामिल किया जाए।
- 14.1.4 बैंकों को अपने निदेशक मंडलों द्वारा द्वितीयक बाजार के विधिवत् अनुमोदित अनुमत शेयरों, डिबेंचरों, तथा पीएसयू बाण्डों की प्राप्ति के लिए आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देश बनाने चाहिए।

#### 14.2 आंतरिक लेखा परीक्षा

दुरुपयोग की संभावना की दृष्टि से आंतरिक लेखा परीक्षकों (और आंतरिक लेखा परीक्षकों की गैर-मौजूदगी में निबंधक, सहकारी सोसायटियां द्वारा बनाए गए पैन्ल से बाहर के सनदी लेखापालों द्वारा) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री आदि, की अलग से लेखा परीक्षा की जानी चाहिए और उनकी लेखा परीक्षा के परिणाम हर तिमाही में एक बार निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

#### 14.3 समीक्षा

बैंक को अपने निवेश संविभाग की छ:माही समीक्षा (31 मार्च और 30 सितंबर) करनी चाहिए जिसमें निवेश संविभाग के परिचालनात्मक पहलुओं के अलावा निर्धारित आंतरिक निवेश संविभाग नीति तथा प्रक्रियाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना और उनका अनुपालन प्रमाणित किया जाना चाहिए और उसे एक महीने के भीतर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार की समीक्षा रिपोर्टें शहरी बैंक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को क्रमशः 15 मई/15 नवंबर तक भेज देनी चाहिए।

#### 14.4 उल्लंघन के लिए दंड

बैंकों को उपर्युक्त अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इन अनुदेशों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें प्रारक्षित निधि आवश्यकताओं को बढ़ाना, रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधा का बंद किया जाना, मुद्रा बाजार में प्रवेश की नामंजूरी, नई शाखाओं / विस्तार पटलों की नामंजूरी और समाशोधन गृह के अध्यक्ष को उचित कार्रवाई के साथ-साथ समाशोधन गृह की सदस्यता स्थगित करने के लिए सूचित किया जाना शामिल है।

#### 15. निवेशों का वर्गीकरण

15.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे निम्नांकित तीन श्रेणियों के अंतर्गत अपने समग्र निवेश संविभाग ( एसएलआर एवं गैर-एसएलआर सहित) का वर्गीकरण करें -

- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)
- व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

बैंकों को प्रतिभूतियों की प्राप्ति के समय निवेश की श्रेणी का निर्णय करना चाहिए और इस निर्णय को निवेश प्रस्तावों में दर्ज किया जाना चाहिए। तथापि, पैराग्राफ 12.1.3 (छ) के अनुसार गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात श्रेणी के अंतर्गत सभी नए निवेशों को केवल व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)/ बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस) श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए उनका बाजार की दर पर मूल्य निर्धारण करना चाहिए।

#### 15.2 परिपक्वता तक धारित

15.2.1 बैंकों द्वारा परिपक्वता तक धारण करने के इरादे से अर्जित की गई प्रतिभूतियों को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

15.2.2 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत शामिल निवेश बैंक के कुल निवेशों के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, बैंकों को इस श्रेणी के अंतर्गत अपने कुल निवेशों के 25% की सीमा से अधिक निवेश करने कि अनुमति दी गई है बशर्ते

(क) अतिरिक्त निवेश में केवल एसएलआर प्रतिभूतियां हैं।

(ख) दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत धारित

कुल

एसएलआर प्रतिभूतियां उनकी निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के 25% से अधिक हों।

15.2.3 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को निजी क्षेत्र की कंपनियों के बाण्डों एवं डिबेंचरों में निवेश करने के लिए अनुमति नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्डों और शेयरों में (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति के

अनुसार) उनके निवेश को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए लेकिन इस श्रेणी के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के प्रयोजन के लिए इनकी गणना नहीं की जाएगी।

- 15.2.4 इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर लाभ को पहले लाभ-हानि खाते में लिया जाना चाहिए और तदुपरांत उसे निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि/निवेश मूल्य हास प्रारक्षित निधि खाते में विनियोजित किया जाना चाहिए। बिक्री पर हानि का निर्धारण लाभ-हानि खाते में किया जाएगा।

### 15.3 व्यापार के लिए धारित

- 15.3.1 बैंकों द्वारा अर्जित उन प्रतिभूतियों को "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जिन्हें बैंकों ने अल्पकालिक कीमत / ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव का लाभ लेने के इरादे से अर्जित किया है।
- 15.3.2 यदि सख्त चलनिधि हालातों या आत्यांतिक अस्थिरता या बाजार के एक रेखीय होने जैसी असाधारण परिस्थितियों के कारण बैंक 90 दिनों के भीतर प्रतिभूति नहीं बेच पाते हों तो निम्नलिखित पैराग्राफ 15.5.3 एवं 15.5.4 में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों को "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में स्थानांतरित कर देना चाहिए।

### 15.4 बिक्री के लिए उपलब्ध

- 15.4.1 उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाली प्रतिभूतियों को "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।
- 15.4.2 "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों की धारिता की मात्रा तय करने के लिए बैंक स्वतंत्र है। इंटेंट के आधार, कारोबार की रणनितियों, जोखिम प्रबंधन की क्षमताओं, कर नियोजन, जनशक्ति कौशल, पूंजी की स्थिति आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए वे इस पर विचार कर सकते हैं। ("व्यापार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लिया जाना चाहिए।)

### 15.5 निवेशों का अंतरण

- 15.5.1 बैंक निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में / "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी से निवेशों का अंतरण कर सकते हैं। सामान्यतया इस प्रकार का अंतरण लेखाकरण वर्ष के प्रारंभ में करने की अनुमति दी जाती है। लेखाकरण वर्ष की शेष अवधि के दौरान इस श्रेणी में / इस श्रेणी से और किसी अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 15.5.2 बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी से "कारोबार के लिए धारित" श्रेणी में निवेशों का अंतरण कर सकते हैं। अत्यावश्यकता की स्थितियों के मामले में इस प्रकार का अंतरण बैंक के मुख्य कार्यपालक के अनुमोदन से किया जा सकता है लेकिन इसे निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।
- 15.5.3 सामान्यतया "कारोबार के लिए धारित" श्रेणी से "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में निवेशों के अंतरण की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि, इसकी अनुमति केवल निदेशक मंडल/ निवेश समिति के अनुमोदन से उपर्युक्त पैराग्राफ 15.3.2 में उल्लिखित असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत ही दी जाएगी जो अंतरण की तारीख को लागू मूल्य हास, यदि कोई हो, के अध्वधीन होगी।
- 15.5.4 सभी परिस्थितियों में एक श्रेणी से दूसरी किसी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूतियों की प्राप्ति कीमत/बही मूल्य/बाजार मूल्य जो न्यूनतम हो, पर अंतरण की तारीख को किया जाना चाहिए और इस प्रकार के अंतरण के कारण किसी प्रकार के मूल्य हास, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए।

### 15.6 तुलन पत्र में निवेशों का वर्गीकरण

तुलनपत्र के प्रयोजन के लिए निवेशों का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाना चाहिए:

- (i) सरकारी प्रतिभूतियां
- (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- (iii) शेयर
- (iv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्ड
- (v) अन्य

## 16. निवेश मूल्यन

### 16.1 मूल्यन मानक

- 16.1.1 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को दैनिक बाजार भाव पर दर्शाने की आवश्यकता नहीं है एवं इन्हें अर्जन की कीमत पर दर्शाया जाएगा जबतक कि यह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसे मामले में प्रिमियम का परिशोधन परिपक्वता पूरी होने की शेष अवधि में किया जाएगा।
- 16.1.2 "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में प्रत्येक पच्ची का मूल्यन वर्ष के अंत में या अधिक अंतरालों पर बाजार भाव पर दर्शाया जाएगा। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण अर्थात् एचटीएम, एएफएस या एचएफटी के अंतर्गत निवल मूल्य हास का पता लगाया जाए और उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाए जब कि निवल मूल्य वृद्धि को नजर अंदाज कर दिया जाए। प्रत्येक प्रतिभूति के बही मूल्य में पुनर्मूल्यन के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- 16.1.3 "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी में प्रत्येक शेयर का बाजार भाव पर मासिक या और ज्यादा अंतरालों पर दर्शाया जाएगा, बाजार के आधार पर मूल्यन के बाद इस श्रेणी में व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

**टिप्पणी :** *इस श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यन श्टायर वार किया जाएगा और मूल्य हास / मूल्य वृद्धि के प्रत्याक वर्गीकरण अर्थात् एचटीएम, एएफएस या एचएफटी के लिए जोड़ा जाएगा जैसाकि एएफएस तथअ एचएफटी के लिए ऊपर 15.6 में अलग-अलग दर्शाया गया है। निवल मूल्य हास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाएगा। निवल मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो, को नजर अंदाज कर दिया जाना चाहिए। किसी एक वर्गीकरण में प्रावधान किए जाने वाले मूल्य हास को किसी अन्य वर्गीकरण में निवल मूल्य वृद्धि के कारण कम नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार एक श्रेणी में किसी वर्गीकरण के लिए निवल मूल्य हास को किसी दूसरी श्रेणी में उसी प्रकार के वर्गीकरण में मूल्य वृद्धि से कम नहीं किया जाना चाहिए।*

- 16.1.4 किसी वर्ष "एएफएस" अथवा "एचएफटी" श्रेणियों के अंतर्गत धारित निवेशों के मूल्य में मूल्य हास के कारण सृजित प्रावधानों को लाभ एवं हानि खाते में नामे लिखा जाना चाहिए और उसके समतुल्य राशि (निवल कर लाभ, यदि कोई हो और सांविधिक प्रारक्षित निधि के अंतरण के परिणाम स्वरूप निवल कमी ) या निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि खाते में उपलब्ध शेष, इनमें से जो भी कम हो, को निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि/निवेश मूल्य हास प्रारक्षित निधि खाते से लाभ व हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। निवेशों में मूल्य हास के कारण सृजित प्रावधानों के किसी वर्ष आवश्यक राशि से अधिक पाए जाने की स्थिति में अधिक राशि को लाभ व हानि खाते में नामे करने दिया जाना चाहिए और समतुल्य राशि (निवल कर, यदि कोई हो एवं सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरित निवल राशि जैसाकि इस प्रकार के अधिक प्रावधान पर लागू हो ) को निवेश के लिए भावी मूल्य हास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि खाते में समायोजित कर देना चाहिए। मूल्य हास प्रावधान के लिए लाभ व हानि खाते में नामे लेखी राशियां और अधिक प्रावधान के प्रत्यावर्तन के लिए लाभ व हानि खाते में जमा राशि को "व्यय - प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय" शीर्ष के अंतर्गत क्रमशः नामे एवं जमा दर्ज किया जाना चाहिए। बैंकों को निवेशों में कमी/मूल्य हास के लिए आवश्यक प्रावधानों की राशियों को अलग-अलग रखना चाहिए तथा उन्हें "निवेश में मूल्य हास के लिए आकस्मिक प्रावधान" के अंतर्गत पार्क करना चाहिए ताकि प्रावधानों तथा प्रारक्षित निधियों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया जा सके और उन्हें निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि/निवेश मूल्य हास से/में निधियों के अंतरण को सुविधाजनक बनाना चाहिए। लाभ एवं हानि खाते से विनियोजित राशि और निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि/निवेश मूल्य हास से लाभ एवं हानि खाते में अंतरित राशि को वर्ष के लिए लाभ का निर्धारण करने के बाद "व्याख्यात्मक नोट" के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
- 16.1.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां व्यापार के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत वयैक्तिक शेयरों का मूल्य मासिक या उससे अधिक अंतरालों पर निर्धारित किया जाता रहेगा वहीं इस श्रेणी के अंतर्गत वयैक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में उन्हें बाजार मूल्य पर निर्धारित करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि निवेशों के मूल्य में निवल मूल्य हास, यदि कोई, का प्रावधान किया जाना चाहिए वहीं निवल मूल्य वृद्धि, यदि कोई, को उपेक्षणीय माना जाना चाहिए। किसी एक श्रेणी में मूल्य हास के लिए किए जाने वाले प्रावधानों किसी दूसरी श्रेणी में हुई मूल्य वृद्धि के साथ समायोजित कर देना चाहिए।
- 16.1.6 तीनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में प्रतिभूतियों के संबंध में जहां ब्याज / मूलधन बकाया हो, बैंकों को प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करनी चाहिए और निवेश के मूल्य में मूल्य हास के लिए उचित प्रावधान भी करने चाहिए। बैंकों को इन अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्य हास की हानि की पूर्ति अन्य अर्जक आस्तियों के संबंध में मूल्य-वृद्धि से नहीं करनी चाहिए।

## 16.2 बाजार मूल्य

### 16.2.1 उद्धृत प्रतिभूतियां

"बिक्री के लिए उपलब्ध" और "व्यापार के लिए धारित" श्रेणियों में शामिल निवेशों के आवधिक मूल्यन के प्रयोजन के लिए "बाजार मूल्य" श्टायर बाजारों के कारोबार / उद्धरणों, एसजीएल खाता लेनदेन, भारतीय रिजर्व

बैंक की मूल्य सूची तथा निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (फिम्डा) के साथ संयुक्त रूप से भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ द्वारा आवधिक रूप से घोषित कीमतों से यथा उपलब्ध शेयर की बाजार कीमत होगी।

## 16.2.2

**अनुद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियां**

अनुद्धृत प्रतिभूतियों के संबंध में, नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

(i) **केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां**

(क) भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा निवेशों के मूल्यन के प्रयोजन से अनुद्धृत केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की वाईटीएम दरों की घोषण नहीं करेगा। बैंकों को आवधिक अंतरालों पर पीडीएआई / फिम्डा द्वारा घोषित कीमतों / वाईटीएम दरों के आधार पर अनुद्धृत केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन करना चाहिए।

(ख) पूँजी सूचकांक बाण्डों का 6 प्रतिशत का मूल्यन "कीमत" पर किया जाए जिसकी गणना तीन माह के अंतराल पर थोक मूल्य सूचकांक को हिसाब में लेकर की गई सूचकांक अनुपात की गणना का प्रयोग करके की जा सकती है। उदाहरणार्थ, नवंबर 1997 के थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग मार्च 1998 के सूचकांक अनुपात की गणना करने में किया जा सकता है। एक विस्तृत उदाहरण नीचे दिया गया है:

दिसंबर 1997 में बाण्ड सममूल्य पर जारी किए गए थे। अगस्त 1997 के लिए थोक मूल्य सूचकांक को मूल थोक मूल्य सूचकांक के रूप में लिया गया था। उसी प्रकार, दिसंबर 2002 में शोधन मूल्य के भुगतान के लिए संदर्भ थोक मूल्य सूचकांक को अगस्त 2002 के लिए थोक मूल्य सूचकांक के रूप में लिया गया है। इस प्रकार, पूँजी सूचकांक बनाने के लिए 3 माह का स्पष्ट अंतराल लिया जाता है। पूँजी सूचकांक बाण्डों के मूल्यन के प्रयोजन से 'मूल्य' निर्धारित करने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। यदि बाण्ड का मूल्यन मार्च 1998 में किया जाना है तो सूचकांक अनुपात की गणना नवंबर 1997 के लिए थोक मूल्य सूचकांक को संदर्भ थोक मूल्य सूचकांक के रूप में हिसाब में लेकर की जा सकती है। इस प्रकार किसी वर्ष में मार्च को समाप्त प्रत्येक तिमाही के लिए संगणक गत वर्ष के नवंबर का थोक मूल्य सूचकांक लेगा और जून, सितंबर एवं दिसंबर महीनों में समाप्त अन्य तिमाहियों के लिए प्रत्येक वर्ष सूचकांक अनुपात संबंधित वर्षों के फरवरी, मई तथा अगस्त के लिए संगणक थोक मूल्य सूचकांक को लेगा।

मान लीजिए कि नवंबर 1997 के लिए थोक मूल्य का मासिक औसत सूचकांक (1981-82 = 100) 329.90 है। संदर्भ थोक मूल्य सूचकांक 329.90 है। अगस्त 1997 के लिए मूल थोक मूल्य सूचकांक 326.00 है। पूँजी सूचकांक बाण्ड की कीमत की गणना उदाहरणस्वरूप नीचे दर्शाई गई हैं :

$$\begin{aligned} \text{मार्च 1998 के लिए सूचकांक अनुपात} &= \frac{\text{नवंबर 1997 के लिए थोक मूल्य सूचकांक}}{\text{मूल थोक मूल्य सूचकांक}} \\ &= \frac{329.90}{326.00} = 1.01196 \text{ या } 1.01 \end{aligned}$$

(दशमलव

के दो अंकों तक पूर्णांकित )

31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार मूल्यन के लिए बाण्डों की कीमत

₹.100 x 1.01

= ₹.101.00

(ग) यह स्पष्ट किया जाता है कि उचित वाईटीएम दर - निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या की गणना किसी वर्ष की आंशिक अवधि को निकटतम पूर्ण वर्ष में पूर्णांकित करके की जाए।

(घ) जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के बाण्डों सहित अन्य अनुद्धृत प्रतिभूतियों के मूल्यन का संबंध है बैंकों को अनुद्धृत प्रतिभूतियों के मूल्यन का निर्धारण करने के लिए 'परिपक्वता आय' विधि का एक समान रूप से अनुपालन करना चाहिए।

- (ii) खजाना बिलों का मूल्यन रखाव लागत पर किया जाना चाहिए ।
- (iii) **राज्य सरकार की प्रतिभूतियां**  
राज्य सरकारी की प्रतिभूतियां का मूल्यन 'परिपक्वता आय' विधि का प्रयोग करके किया जाएगा जिसके अंतर्गत आवधिक रूप से पीडीएआई / फिम्डा द्वारा निर्धारित समान परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की आय से 25 आधार अंक अधिक दिया जाएगा ।
- (iv) **अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां**  
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यन 'परिपक्वता आय' विधि का प्रयोग करके किया जाएगा जिसके अंतर्गत आवधिक रूप से पीडीएआई / फिम्डा द्वारा निर्धारित समान परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की आय से 25 आधार बैंक अधिक दिया जाएगा ।

## 16.2.3

**अनुद्धृत गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां**

- (i) **एआईएफआई तथा पीएसयू के डिबेंचर/बाण्ड**  
उन डिबेंचरों / बाण्डों को छोड़कर जो अग्रिम प्रकार के हैं सभी डिबेंचरों / बाण्डों का मूल्यन 'परिपक्वता आय' आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार के डिबेंचर /बाण्ड भिन्न-भिन्न रेटिंग के हो सकते हैं। इनका उचित मूल्यन पीडीए आई / फिम्डा द्वारा आवधिक रूप से निर्धारित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 'परिपक्वता आय' दरों से अधिक मूल्य पर किया जाएगा। रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिबेंचरों / बाण्डों को दी गई रेटिंग के अनुसार मूल्यन का स्तर निर्धारित किया जाएगा जो निम्नलिखित के अधीन होगा:  
(क) रेटेड डिबेंचरों / बाण्डों के लिए परिपक्वता आय हेतु प्रयुक्त दर समान परिपक्वता के भारत सरकार के ऋण पर लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक ऊपर होनी चाहिए ।  
(ख) अनरेटेड डिबेंचरों / बाण्डों के लिए परिपक्वता अवधि हेतु प्रयुक्त दर समान परिपक्वता के रेटेड डिबेंचरों / बाण्डों पर लागू दर से कम नहीं होनी चाहिए । अनरेटेड डिबेंचरों / बाण्डों के मूल्य स्तर से बैंक द्वारा वहन किए जा रहे ऋण जोखिम को समुचित रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए ।  
(ग) जहां डिबेंचरों / बाण्डों पर ब्याज / मूलधन बकाया हो, वहां अग्रिम माने गए डिबेंचरों बाण्डों की तरह डिबेंचरों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए । जहां ब्याज बकाया हो या मूलधन का भुगतान नियत तारीख के अनुसार नहीं किया गया हो वहां डिबेंचरों पर मूल्य हास / प्रावधान को अन्य डिबेंचरों / बाण्डों की मूल्य वृद्धि से समायोजित नहीं करने दिया जाएगा ।
- (ii) जहां डिबेंचरों / बाण्ड को उद्धृत किया गया है और जहां मूल्यन तारीख से पूर्व 15 दिनों के भीतर लेनदेन किए गए हैं वहां स्वीकृत मूल्य श्टायर बाजार में दर्ज लेनदेन की दर से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- (iii) **सहकारी संस्थाओं के शेयर**  
यदि प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक को सहाकारी संस्थाओं से नियमित रूप से लाभांश प्राप्त हुए हैं तो उनके शेयरों का मूल्यन अंकित मूल्य पर किया जाना चाहिए । कई मामलों में, सहकारी संस्थाएं जिनके शेयरों में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों ने निवेश किया है, या तो परिसमाप्त हो गई हैं या उन्होंने लाभांश घोषित ही नहीं किया है । इस प्रकार के मामलों में, बैंकों को इस प्रकार की संस्थाओं के शेयरों में अपने निवेशों के संबंध में पूरा प्रावधान करना चाहिए । कई मामलों में जिनमें सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति जिनके शेयरों में बैंकों ने निवेश किया है, उपलब्ध न हो तो शेयर रु.1/- प्रति सहकारी संस्था की दर पर लिया जाए।

**(IV) भारत सरकार द्वारा जारी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का मूल्यन**

**क)** गत वर्षों के दौरान भारत सरकार ने समय-समय पर अनेक विशेष प्रतिभूतियां जारी की हैं जो शहरी सहकारी बैंकों की एसएलआर संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने की पात्र नहीं हैं। इस प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों पर पृथक शर्तें लागू होती हैं जिनके कारण बड़ी मात्रा में अतरलता उत्पन्न होती है। मौजूदा समय में इस प्रकार की गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का मूल्यन करने से संबंधित फिम्डा द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी प्रतिभूतियों का मूल्यन भारत सरकार प्रतिभूतियों पर तत्संबंधी आय से 50 आधार अंक अधिक देते हुए किया जाए।

**ख)** इस बीच जारी की गई ऐसी विशेष प्रतिभूतियों की जांच की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि मूल्यन के सीमित प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी संस्थाओं को जारी की गई ऐसी सभी विशेष

प्रतिभूतियों का मूल्यन भारत सरकार प्रतिभूतियों पर तत्संबंधी आय से 25 आधार अंक अधिक देते हुए किया जाए जो एसएलआर प्रयोजन के लिए न हों। यह संशोधन वित्त वर्ष 2008-09 से लागू होगा।

ग) यह नोट किया जाए कि वर्तमान में ऐसी विशेष प्रतिभूतियों के अंतर्गत तेल बाण्ड, उर्वरक बाण्ड, भासरतीय स्टेट बैंक को जारी किए गए बाण्ड (हाल ही के राइट इश्यू के दौरान), भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., भारतीय खाद्य निगम, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि., भूतपूर्व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भूतपूर्व शिपिंग विकास वित्त निगम शामिल हैं।

#### 16.2.4 म्यूचुअल फंड की यूनितें

उद्धृत म्यूचुअल फंड यूनितें में निवेशों का मूल्यन शेयर बाजार के भावों के अनुसार किया जाना चाहिए। गैर उद्धृत

म्यूचुअल फंड यूनितें में निवेशों का मूल्यन प्रत्येक विशेष योजना के संबंध में म्यूचुअल फंडों द्वारा घोषित अद्यतन

पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। निश्चित अवरूद्धता अवधि वाली निधियों के मामले में या जहां

पुनर्खरीद मूल्य/ बाजार भाव उपलब्ध नहीं है वहां यूनितें का मूल्यन एनएवी के आधार पर किया जा सकता है।

यदि एनएवी उपलब्ध न हो तो इन यूनितें का मूल्यन निश्चित अवरूद्धता अवधि की सामाप्ति तक लागत के आधार

पर किया जा सकता है।

#### 17. निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर)

बाजार जोखिमों के प्रति सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रारक्षित निधि खड़ा करने के लिए:

17.1 बैंकों को निवेशों की बिक्री से हुए लाभों से और उपलब्ध निवल लाभ के अध्यक्षीन मार्च 2008 तक निवेश संविभाग के न्यूनतम 5 प्रतिशत के बराबर निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर) खड़ी करनी चाहिए। इस न्यूनतम आवश्यकता की गणना "कारोबार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" जैसी दो श्रेणियों में निवेशों के संदर्भ में की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश को शामिल करना आवश्यक नहीं होगा। तथापि, बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से संविभाग के 10 प्रतिशत तक आईएफआर की उच्च प्रतिशतता खड़ी करने के लिए स्वतंत्र हैं जो उनके संविभाग के आकार और गठन पर निर्भर करेगी।

17.2 बैंकों को प्रतिभूतियों में निवेश की बिक्री से हुए लाभ की अधिकतम राशि आईएफआर में अंतरित कर देना चाहिए। आईएफआर में अंतरण सांविधिक प्रारक्षित निधि में विनियोग के बाद निवल लाभ के विनियोग के रूप में होगा।

17.3 "कारोबार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध जैसी दो श्रेणियों से निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ से निर्मित आईएफआर स्तर II पूंजी में समावेश करने की पात्र होगी।

17.4 निवेशों की मूल्यहास संबंधी आवश्यक को पूरा करने के लिए आईएफआर से लाभ व हानि लेखा में अंतरण "लाभ निकालने के बाद" की असाधारण मद होगी।

17.5 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेश संविभाग के मूल्यन से वसूल नहीं हुए लाभों को आय खाते या आईएफआर खाते में नहीं लिया जाता है।

17.6 बैंक भविष्य में प्रतिभूतियों में निवेश के कारण मूल्य हास से संबंधित जरूरत को पूरा करने के लिए आईएफआर में धारित राशि का उपयोग कर सकते हैं।

17.7 उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आईएफआर का सृजन उन प्राथमिक (शहरी) सहाकरी बैंकों के लिए अधिदेशात्मक है जिनकी कुल मांग एवं मीयादी देयताएं 100 करोड़ रुपये और अधिक हैं तथा छोटे बैंकों के लिए

यह वैकल्पिक है।

#### 17.8 आईएफआर तथा आईडीआर में अंतर

यह नोट किया जाए कि आईएफआर प्रारंभ में "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों की बिक्री से प्राप्त निवल लाभ/लाभ के नियोजन से सृजित किया जाता है लेकिन बाद में उसे एएफएस अथवा एचएफटी में अंतरित कर दिया जाता है तथा उसे स्तर II पूंजी के पात्र बैंक की प्रारक्षित निधि के रूप में माना जाता है, जबकि निवेश मूल्य हास प्रारक्षित निधि (आईडीआर) लाभ एवं हानि लेखा से निवेश मूल्य में हास प्रभारित करके सृजित प्रावधान है। जहां आईएफआर के अंतर्गत धारित राशि को तुलनपत्र में यथावत प्रदर्शित किया जाना चाहिए वहीं आईडीआर के अंतर्गत धारित राशि को निवेश में होने वाले मूल्य हास के लिए आकस्मिक प्रावधान के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

#### 18. सूचना देना



अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे तिमाही आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करें जिसमें अनुमोदित प्रतिभूति एवं मुद्रा बाजार लिखतों आदि में उनके निवेशों से संबंधित सूचना हो। कैलेंडर की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर उक्त विवरण तिमाही की समाप्ति से 10 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहरी बैंक विभाग के पास पहुँच जाना चाहिए।

\*\*\*\*\*

**निवेश पर मास्टर परिपत्र**  
**दलालों की सीमाओं पर कतिपय स्पष्टीकरण**  
**[संदर्भ: पैरा 7.3.]**

क्रमांक	उठाए गए मुद्दे	जवाब
1.	वर्ष कैलेंडर वर्ष होना चाहिए या वित्तीय वर्ष ?	चूंकि बैंक अपने खाते मार्च के अंत में बंद करते हैं इसलिए वित्तीय वर्ष को अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा। तथापि, बैंक कैलेंडर वर्ष या 12 माह की अन्य किसी अवधि को अपना सकते हैं बशर्ते भविष्य में भी उसे निरंतर अपनाया जाता रहे।
2.	क्या वर्ष के कुल लेनदेनों की गणना करने के लिए सीधे प्रतिपक्ष के साथ किए गए लेनदेनों अर्थात् जिनसे कोई दलाल संबद्ध नहीं है, को भी हिसाब में लिया जाएगा ?	आवश्यक नहीं। तथापि, यदि क्रेता या बिक्रेता के रूप में दलालों के साथ सीधे कोई लेनदेन किया गया है तो उसे किसी दलाल के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेनों की सीमा तक कुल लेनदेनों में शामिल किया जाना होगा।
3.	क्या हाजिर वायदा लेनदेनों के मामले में कुल लेनदेनों की मात्रा निर्धारित करने के लिए लेनदेनों के दोनों चरण अर्थात् खरीद और बिक्री को शामिल किया जाएगा ?	हां
4.	क्या सीधी खरीद/नीलामियों के माध्यम से खरीदे गए केंद्रीय ऋण/राज्य ऋण/खजाना बिलों को कुललेनदेनों की मात्रा में शामिल किया जाएगा ?	नहीं, क्योंकि दलाल मध्यस्थ के रूप में शामिल नहीं हैं।
5.	यह संभव है कि बैंक यह मानता हो कि किसी दलाल विशेष ने 5% की निर्धारित सीमा पूरी कर ली है फिर भी वह वर्ष की शेष अवधि के दौरान कोई प्रस्ताव कर सकता है जिसे बैंक अन्य दलालों से प्राप्त प्रस्तावों की तुलना में अपने फायदे में समझता हो जिन्होंने अभी तक निर्धारित सीमा तक व्यवसाय नहीं किया है।	यदि प्राप्त प्रस्ताव अधिक फायदेमंद हो तो दलाल के लिए सीमा बढ़ाई जा सकती है और सक्षम प्राधिकारी/निदेशक मंडल का कार्यांतर अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।
6.	क्या ग्राहकों की तरफ से किए गए लेनदेनों को भी वर्ष के कुल लेनदेनों में शामिल किया जाएगा ?	हां, यदि वे दलालों के माध्यम से किए गए हों।
7.	ऐसे बैंक के लिए जो मुश्किल से कभी दलालों के मअद्यम से लेनदेन करता हो और परिणामस्वरूप उसके व्यवसाय की मात्रा कम हो, 5% की दलालवार सीमा बनाए रखने का मतलब भिन्न-भिन्न दलालों के बीच मूल्यों को छोटे-छोटे रूप में विभाजित करना है और इससे कीमत में अंतर भी पैदा हो सकता है।	किसी मूल्य स्तर को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी लेनदेन के कारण किसी दलाल विशेष का शेयर 5% सीमा को लांच जाता है तो हमारा परिपत्र आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि निदेशक मंडल का कार्यांतर अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।
8.	वर्ष के दौरान तर्कसंगत ढंग से यह भविष्यवाणी करना संभव नहीं होगा कि दलालों के माध्यम से लेनदेनों की कुल मात्रा क्या होगी जिसके परिणामस्वरूप 5% के मानदंड का अनुपालन करने में चूक हो सकती है।	जिन परिस्थितियों में सीमा में वृद्धि की गई थी उसका स्पष्टीकरण निदेशक मंडल को देने के बाद बैंक उससे कार्यांतर अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।
9.	निजी क्षेत्र के कुछ छोटे बैंकों ने उल्लेख किया है कि जहां व्यवसाय की मात्रा विशेष रूप से दलालों के माध्यम से किए गए लेनदेन कम हों	जैसाकि पहले ही कहा गया है कि 5% की सीमा में वृद्धि की जा सकती है बशर्ते लेनदेनों की कार्यांतर सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जाए। इसलिए

	<p>वहां 5% की सीमा का पालन करना कठिन है। इसलिए एक सुझाव दिया गया है कि यदि दलाल के माध्यम से किया गया व्यवसाय निर्धारित सीमा अर्थात् 10 करोड़ रुपये से अधिक होता है तो उक्त सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।</p>	<p>अनुदेशों में किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा जाता है।</p>
10.	<p>क्या चालू वर्ष के कुल लेनदेनों की तुलना में पिछले वर्ष के कुल लेनदेनों के संदर्भ में सीमा का पालन किया जाना है क्योंकि इसकी जानकारी वर्ष के अंत में ही होगी ?</p>	<p>सीमा का पालन समीक्षाधीन वर्ष के संदर्भ में किया जाना होगा। सीमा को परिचालित करते समय बैंक को चालू वर्ष के संभावित लेनदेन को ध्यान में रखना चाहिए जो पिछले वर्ष के लेनदेन और चालू वर्ष में व्यवसाय की मात्रा में संभावित उतार-चढ़ाव पर आधारित हो।</p>

\*\*\*\*\*

## निवेश पर मास्टर परिपत्र - कुछ परिभाषाएं

## [पैरा 12.3.1(iii) देखें.]

1. स्पष्टता लाने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में कोई विचलन नहीं हुआ है, दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त कुछ शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं ।
2. किसी प्रतिभूति को रेटेड तभी माना जाएगा जब भारत में किसी बाहरी रेटिंग एजेंसी द्वारा उसकी विस्तृत रेटिंग की गई हो जो सेबी के अंतर्गत पंजीकृत हो और जो चालू या वैध रेटिंग कर रही हो । जिस रेटिंग को आधार बनाया गया है उसे चालू या वैध रेटिंग तभी माना जाएगा यदि
  - i) जिस क्रेडिट रेटिंग पत्र को आधार बनाया गया हो वह निर्गम के खुलने की तारीख को एक माह से अधिक पुराना न हो, तथा
  - ii) रेटिंग एजेंसी से प्राप्त रेटिंग मूलाधार निर्गम खुलने की तारीख को एक वर्ष से अधिक पुराना न हो, तथा
  - iii) रेटिंग पत्र और रेटिंग मूलाधार प्रस्ताव दस्तावेज का एक भाग हो
  - iv) द्वितीयक बाजार अधिप्राप्ति के मामले में निर्गम की क्रेडिट रेटिंग प्रभावी होनी चाहिए और संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन में उसकी पुष्टि होनी चाहिए ।
  - v) उन प्रतिभूतियों को अनरेटेड प्रतिभूतियाँ माना जाएगा जिनके पास किसी बाह्य रेटिंग एजेंसी से प्राप्त चालू या वैध रेटिंग नहीं है ।
3. भारत में संचालित बाह्य रेटिंग एजेंसियों में से किसी रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई निवेश ग्रेड रेटिंग की पहचान आई बी ए / फिम्डा द्वारा की जाएगी । इन रेटिंगों की समीक्षा कम से कम वर्ष में एक बार आई बी ए / फिम्डा द्वारा भी की जाएगी ।
4. 'सूचीबद्ध' ऋण प्रतिभूति एक ऐसी प्रतिभूति होती है जो किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है । यदि ऐसा न हो तो यह एक 'अ-सूचीबद्ध' ऋण प्रतिभूति कहलाएगी ।
5. किसी अनर्जक अग्रिम की भांति ही एक अनर्जक निवेश (एन पी आई) होता है जब
  - क) ब्याज / किश्त (परिपक्वता प्राप्ति सहित) देय हो तथा 180 दिनों से अधिक समय से जिसका भुगतान न किया गया हो। बकाया अवधि 31 मार्च 2004 से 90 दिन हो गई हो।
  - ख) यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में अनर्जक आस्ति हो गई हो तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी प्रतिभूति में किए गए निवेश को भी अनर्जक निवेश माना जाएगा।

\*\*\*\*\*

निवेश पर मास्टर परिपत्र  
प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं

[पैरा 12.8 के अनुसार.

i) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों का जारीकर्ता संगठन

(करोड़

रुपये में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा	'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा	'अ-सूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम				
2	वित्तीय संस्थाएं				
3	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				
4	म्यूचुअल फण्ड				
5	अन्य				
6	मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान		XXX	XXX	XXX
	कुल *				

नोट: 1.\* स्तंभ 3 के अंतर्गत कुल राशि तुलन पत्र की अनुसूची 8 के अंतर्गत कुल निवेशों के बराबर होनी चाहिए ।

2. उपर्युक्त 4, 5 तथा 6 के अंतर्गत सूचित की गई राशियां एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकतीं ।

ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश

विवरण	राशि (करोड़ रुपए)
प्रारंभिक शेष	
वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से और शामिल निवेश	
उपर्युक्त अवधि के दौरान घटाव	
अंतिम शेष	
कुल धारित प्रावधान	

\*\*\*\*\*

**मास्टर परिपत्र**  
**प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश**

**क. मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची**

0.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	शर्बैवि.बीपीडी(पीसीबी).सं.47/ 16.20.000/2008-09	30.01.2009	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों का निवेश
2.	शर्बैवि.बीपीडी(पीसीबी).सं.46/ 16.20.000/2008-09	30.01.2009	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों में निवेश
3.	शर्बैवि.बीपीडी(पीसीबी).सं.37/ 16.20.000/2008-09	21.01.2009	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश-धारा 24क के अंतर्गत छूट
4.	शर्बैवि.बीपीडी(पीसीबी).सं.28/ 16.20.000/2008-09	26.11.2008	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
5.	शर्बैवि.बीपीडी.सं.56/ 16.20.000/2007-08	17.06.2008	भारत सरकार द्वारा जारी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का मूल्यन
6.	आईडीएमडी.सं.3166/11.01.0 1 (बी)	01.01.2008	सरकारी प्रतिभूतियों में "कब जारी" लेनदेन
7.	शर्बैवि.बीपीडी.सं.14/ 16.20.000/2007-08	18.09.2007	गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश
8.	शर्बैवि.बीपीडी.सं.7/ 09.29.000/2006-07	18.08.2006	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में "कब जारी " लेनदेन- लेखाकरण और अन्य पहलू
9.	शर्बैवि.बीपीडी.सं.1/ 09.09.001/2005-06	11.07.2006	एनएचबी / हुडको द्वारा जारी विशेष बांडों में निवेश - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार
10.	शर्बैवि.बीपीडी.सं.41/ 16.20.000/2005-06	29-03-2006	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - मूल्यन
11.	शर्बैवि.बीपीडी.सं.31/ 13.01.000/2005-06	17-02-2006	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
12.	शर्बैवि.बीपीडी.सं.41/ 16.20.000/2004-05	28-03-2005	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - मूल्यन
13.	शर्बैवि.बीपीडी.सं.16/ 16.20.000/2004-05	02-09-2004	निवेश - वर्गीकरण तथा मूल्यन
14.	शर्बैवि.बीपीडी.सं.49/ 09.80.00/2004-05	20-06-2005	हाज़िर वायदा लेनदेन
15.	शर्बैवि.बीपीडी.सं.50/ 09.80.00/2004-05	20-06-2005	सरकारी प्रतिभूति - टी + 1 निपटान
16.	शर्बैवि.बीपीडी.सं.51/ 09.80.00/2004-05	20-06-2005	प्रारंभिक निर्गमों पर प्रतिभूतियों का निपटान
17.	शर्बैवि.बीपीडी.सं.37/ 12.05.01/2004-05	26-02-2005	बैंकों का निवेश संविभाग - सूचना देने की प्रणाली
18.	शर्बैवि.बीपीडी.एसयूबी.परि.5/ 09.80.00/2003-04	28.04.2004	सरकारी प्रतिभूतियों (डीवीपी III) में लेनदेन
19.	शर्बैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.45/ 16.20.00/2003-04	15.04.2004	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात ऋण प्रतिभूतियों में निवेश
20.	शर्बैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.44/ 09.29.00/2003-04	12.04.2004	प्राथमिक निर्गमों के लिए नीलामियों के दौरान उसी दिन आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री
21.	शर्बैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.42/ 09.11.00/2003-04	01.04.2004	सी एस जी एल खातों का बनाए रखा जाना
22.	शर्बैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.35/ 13.05.00/2003-04	27.02.2004	गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों द्वारा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशियां रखा जाना
23.	शर्बैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.34/ 13.05.00/2003-04	11.02.2004	अग्रिमों पर अधिकतम सीमा-व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ताओं के ऋण -

	13.05.00/2003-04		जोखिम की सीमाएं - पूँजी गत निधियों की संगणना
24.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.33/ 09.11.00/2003-04	11.02.2004	सी एस जी एल खाता बनाए रखना
25.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.एफआईउ आर.26/ 16.20.00/2003-04	02.12.2004	आई सी आई सी आई बैंक लि. के शेयरों में निवेश
26.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.12/ 09.29.00/2003-04	04.09.2003	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - निवेश उतार - चढ़ाव प्रारक्षित निधि संबंधी दिशा-निर्देश
27.	शबैवि.बीपीडी.परि.सं.11/ 09.29.00/2003-04	02.09.2003	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - निवेशों का वर्गीकरण तथा मूल्यन
28.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि. 8/09.29.00/2002-03	16.08.2003	श्टायर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार
29.	शबैवि.बीपीडी.परि.सं.1/ 09.11.00/2003-04	08.07.2003	सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के संबंध में निपटान - सीसीआईएल के माध्यम से निपटान की अनिवार्यता
30.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि. सं.2/09.80.00/2003-04	08.07.2003	भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर प्रतियोगिता के आधार पर बोली लगाने की सुविधा से संबंधित योजना
31.	शबैवि.पीसीबी.56/09.29. 00/2003-04	02.07.2003	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
32.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि. सं.46/16.20.00/2002-03	17.05.2003	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशियों का रखा जाना
33.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.सं. 44/09.80.00/2002-03	12.05.2003	रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों का एक समान लेखांकन करने से संबंधित दिशा-निर्देश
34.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि. सं.39/09.29.00/2002- 03	13.03.2003	शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार
35.	शबैवि.बीपी.सं.35/16.26. 00/2002-03	18.02.2003	द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य
36.	शबैवि.बीपीडी.एसपीसीबी. परि.सं.9/09.29.00/2002-03	27.01.2003	सरकारी ऋणों के लिए समाधान प्रक्रिया
37.	शबैवि.पाँट.पीसीबी.परि.सं.06/ 09.29.00/2002-03	06.08.2002	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
38.	शबैवि.पाँट.पीसीबी.परि.सं.5/ 09.29.00/2002-03	22.07.2002	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
39.	शबैवि.पाँट.सं.49/09.80.00/ 2001-02	17.06.2002	हाज़िर वायदा लेनदेन
40.	शबैवि.केका.पाँट.पीसीबी.परि.सं. .48/ 09.29.00/2001-02	11.06.2002	बैंकों के निवेश संविभाग में धारित प्रतिभूतियों का प्रमाणीकरण
41.	शबैवि.बीआर.सं.47/16.26. 00/2001-02	07.06.2002	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
42.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.46/09. 29.00/2001-02	06.06.2002	बैंकों का निवेश संविभाग- प्रतिभूतियों में लेनदेन
43.	शबैवि.आयो.एससीबी.परि.सं. 10/09.29.00/2001-02	26.04.2002	शहरी बैंकों का निवेश संविभाग - सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
44.	शबैवि.आयो.पीसीबी.परि.सं.41 / 09.29.00/2001-02	20.4.2002	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
45.	शबैवि.बीआर.परि.सं.19/16. 26.00/2001-02	22.10.2001	बीआर.एक्ट.1949(सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 24 - सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
46.	शबैवि.सं.बीआर.6/16.26.00/ 2000-01	09.08.2001	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) धारा 24- सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
47.	शबैवि.से.केका.बीएसडी.। पीसीबी.44/12.05.05/2000- 2001	23.04.2001	बैंकों द्वारा किए गए निवेशों के वर्गीकरण तथा मूल्यन संबंधी दिशा-निर्देश
48.	शबैवि.सं.बीआर.परि.42/16. 26.00/2000-01	19.04.2001	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) - धारा 24 - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश

49.	शबैवि.सं.43/16.20.00/2000-01	19.04.2001	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अन्य संस्थाओं तथा अन्य शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशियों के रूप में निधियों का निवेश
50.	शबैवि.सं.पॉट.परि.पीसीबी.39/09.29.00/2000	18.04.2001	प्राथमिक निर्गमों की नीलामी में आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री
51.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.परि.22 / 09.29.00/2000-01	30.12.2000	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन - दलालों की भूमिका
52.	शबैवि.आयो.पीसीबी.परि.26/09.80.00/1999-2000	28.03.2000	हाज़िर वायदा सविदाएं
53.	शबैवि.आयो.18/09.80.00/1999-2000	30.12.1999	राज्य सरकार के ऋणों में बैंकों का अपना निवेश - दलाली कमीशन का भुगतान
54.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.04/09.80.00/1999-2000	25.08.1999	हाज़िर वायदा लेनदेन
55.	शबैवि.सं.बीआर.26/18.20.00/1998-99	07.04.1999	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कंपनियों में निधियों का निवेश
56.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.डीआई आर.3/09.80.00/1998-99	17.08.1998	आरक्षित हाज़िर वायदा लेनदेन
57.	शबैवि.सं.बीआर.1/16.20.00/98-99	10.07.1998	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश - निवेशों का मूल्यन- यू-एस-64 यूनितें
58.	शबैवि.सं.61/16.20.00/97-98	04.06.1998	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश - निवेश का मूल्यन प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कंपनियों में यूएस 64 यूनितें की निधियां
59.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.परि.56/09.60.00/97-98	13.05.1998	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
60.	शबैवि.सं.आयो.एसयूबी.20/09 . 81.00/97-98	19.02.1998	सरकारी प्रतिभूतियों की रिटेलिंग
61.	शबैवि.सं.बीपी.37/16.20.00/1997-98	29.01.1998	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश - निवेशों का मूल्यन
62.	शबैवि.सं.बीएसडी.1.(पीसीबी) 22/12.05.00/97-98	26.11.1997	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश - निवेशों का मूल्यन
63.	शबैवि.सं.आयो.एसयूबी.सं.17/09.83.00/1997-98	19.11.1997	मुद्रा बाजार लिखतों / सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े
64.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.परि.21 /09.60.00/1997-98	11.11.1997	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
65.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.परि.19 / 09.29.00/1997-98	10.11.1997	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन - दलालों की भूमिका
66.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.56/09.60.00/1996-97	06.06.1997	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
67.	शबैवि.सं.डीएस.एसयूबी.परि. 7/13.07.00/1996-97	07.01.1997	प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा बिलों की पुनर्भुनाई योजना में अधिशेष निधियों का निवेश
68.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.34/09.29.07/1996-97	30.12.1996	बैंक का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
69.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.सं.30/09.82.00/1996-97	27.11.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनितें में निवेश
70.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.19/09.29.00/1996-97	11.09.1996	बैंकों का निवेश संविभाग - अप्रयुक्त बीआर फार्म की अभिरक्षा तथा नियंत्रण की प्रणाली
71.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.7/ 09.60.00/1996-97	19.07.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
72.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.69/09.29.00/1995-96	21.06.1996	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
73.	शबैवि.सं.बीआर.परि.52/16.20.00/95-96	16.03.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कंपनियों में निधियों का निवेश
74.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.47/09.60.00/1995-96	29.02.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
75.	शबैवि.सं.बीआर.12/16.20.00/95-96	06.01.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाँडों में निधियों का निवेश



76.	शबैवि.सं.बीआर.परि.33/16. 26.00/95-96	03.01.1996	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 24 - प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
77.	शबैवि.सं.परि.63/16.26.00/ 94-95	16.06.1995	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर यथालागू)की धारा 24 - प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
78.	शबैवि.सं.बीआर.परि.53/16. 20.00/94-95	24.09.1995	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों / कंपनियों में निधियों का निवेश
79.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.32/ 09. 29.00/94-95	24.11.1994	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों का लेनदेन - बैंक रसीदें / दलालों की भूमिका
80.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.29. 09.80.00/94-95	09.11.1994	हाज़िर वायदा लेनदेन
81.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.14/ 09.80.00/94-95	24.08.1994	हाज़िर वायदा लेनदेन
82.	शबैवि.बीआर.10/पीसीबी. (परि)/16.20.00/94-95	01.08.1994	प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कंपनियों में निधियों का निवेश
83.	शबैवि.बीआर.परि.72/16.20. 00/93-94	16.05.1994	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कंपनियों में निधियों का निवेश
84.	शबैवि.सं.आयो.(पीसीबी).परि. 56/09.29.00/93-94	11.02.1994	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
85.	शबैवि.सं.आयो.51/09.29.00 / 93-94	20.01.1994	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन- एसजीएल अंतरण फार्म का बाउंस जाना - लगाए जाने वाले दंड
86.	शबैवि.सं.3/09.29.00/93-94	02.08.1993	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन- दलालों के लिए समग्र संविदा सीमा-स्पष्टीकरण
87.	शबैवि.सं.आयो.74.यूबी.81/92 -93	17.05.1993	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
88.	शबैवि.सं.आयो.13/यूबी.81/9 2-93	15.09.1992	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
89.	शबैवि.सं.बीआर.1866/ए.12 (19)-87/88	13.06.1988	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कंपनियों / निगमों / सहकारी संस्थाओं में जमाराशियों के रूप में निधियों का निवेश
90.	शबैवि.सं.डीसी.84/आर.1(बी) 87-88	13.02.1998	बिलों की पुनर्भुनाई योजना - बैंकों तथा वित्तीय संख्याओं से बिलों की पुनर्भुनाई
91.	शबैवि.सं.बीआर.1455/ए.12 (24)-85/86	31.05.1986	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) - धारा 24 - भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी यूनिटों में निवेश
92.	शबैवि.बीआर.871/ए.12(24) -84/85	10.05.1985	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) धारा - 24-राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत किया गया निवेश
93.	शबैवि.बीआर.498.ए.12(24) - 84/85	08.01.1985	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) धारा 24 - प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश
94.	शबैवि.सं.डीसी.597/आर.41/ 84-85	31.10.1984	7% पूंजी निवेश बांड
95.	शबैवि.पीएण्डओ.1121/यूबी.63 /83-84	01.06.1984	केंद्र /राज्य सरकार के ऋणों में बैंकों का अपना निवेश - दलाली का भुगतान
96.	एसीडी.आईडी(डीसी)1799/ आर. 36/79/80	10.01.1980	7 वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों में अभिदान / की खरीद
97.	एसीडी.आई डी.(डीसी) 1800/ आर.36-79/80	10.01.1980	7 वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों में अभिदान / की खरीद से संबंधित निदेश
98.	एसीडी.बीआर.446/ए.12(19) / 72-73	01.11.1972	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) धारा 19
99.	एसीडी.बीआर.463/ए-12/ (19)/70-71	09.11.1970	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) धारा 19
100.	एसीडी.बीआर.1/ए.12(19) /68-69	01.07.1968	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 19 : अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने

			पर प्रतिबंध
101.	एसीडी.बीआर.3/ए/12 (19) 68-69	01.07.1968	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 19 : अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध
102.	एसीडी.बीआर.903/ए.12(19) / 67-68	22.12.1967	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) धारा 19 : अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध
103.	एसीडी.बीआर.388/ए.11(19) 65-66	01.03.1966	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 : अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध

**ख. अन्य परिपत्रों की सूची जिनमें से निवेशों से संबंधित अनुदेशों को भी मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है**

क्र .	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	शबैवि.सं.पॉट.पीसीबी.परि.सं.45 /09.116.00/2000-01	25.04.2001	शहरी (प्राथमिक) सहकारी बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का लागू होना
2.	शबैवि.केंकां.सं.बीएसडी.पीसीबी. (परि) 34/12.05.05/1999-2000	24.05.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा का मूल्यन
3.	शबैवि.सं.बीएसडी.पीसीबी.25/ 12.05.05/1999-2000	28.02.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले
4.	शबैवि.सं.आईएण्डएल(पीसीबी) 42/ 12.05.00/96-97	20.03.1997	विवेकपूर्ण मानदंड - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले
5.	शबैवि.सं.आईएण्डएल(पीसीबी)68/ 12.05.00/1995-96	10.06.1996	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले - स्पष्टीकरण
6.	शबैवि.सं.आईएण्डएल.(पीसीबी). 61/12.05.00/1994-95	06.06.1995	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यन तथा अन्य
7.	शबैवि.सं.आईएण्डएल.86/12.05. 00/1993-94	28.06.1994	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले
8.	शबैवि.21/12.15.00/1993-94	21.09.1993	बैंकों में धोखाधड़ियों और भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच समिति - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
9.	शबैवि.सं.आईएण्डएल.38/जे.1/ 92- 93	09.07.1993	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले
10.	शबैवि.बीआर.16/ए.6/1984-85	09.07.1984	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983
11.	एसीडी.आयो.358/यूबी.1/1978-79	20.04.1978	शहरी सहकारी बैंकों पर समिति की रिपोर्ट
12.	एसीडी.बी.आर.184/ए.12(19)/ 1978-79	23.08.1978	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर लागू) धारा 10: अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध
13.	एसीडी.बीआर.760/ए.1/1968-69	23.01.1969	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968
14.	एसीडी.बीआर.464/ए.12(24) /1968-69	12.11.1968	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( सहकारी सोसायटियों पर लागू) की धारा 24 : आस्तियों की प्रतिशतता बनाए रखना